

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS — Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Anand Sharma.

श्री आनंद शर्मा (हिमाचल प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के अवसर पर बोलने का मौका दिया है ताकि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूँ। मुझ से पहले हमारे सम्मानित सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी बात कही गई है। महोदय, मैं सरकार को आरंभ में ही बधाई देना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देना चाहता हूँ।

महोदय, जैसा कि आपने स्वयं कहा है कि चुनाव संपन्न हो चुका है। आपकी जीत हुई है, आपकी सरकार पुनः आई है, इसके लिए आपको हमारी शुभकामनाएँ हैं, पर मैं इस अवसर पर एक चीज़ जरूर कहूँगा कि हम यह उम्मीद करते हैं कि जब आप, माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी अपनी सरकार के साथ दूसरी बार आएँ, तो देश में कोई नया अध्याय लिखा जाएगा, कोई नई शुरुआत होगी, जो पिछले पाँच साल से बेहतर होगी।

महोदय, चुनाव की गहमा-गहमी में बहुत-सी बातें कही जाती हैं, कटाक्ष भी होते हैं, आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुका है और हम उम्मीद यह करते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से, माननीय प्रधान मंत्री जी की तरफ से जो कड़वाहट की बातें हैं, वे बंद होंगी और सरकार दुर्भावना से काम नहीं करेगी, तभी पता लगेगा कि "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" इन शब्दों का क्या अर्थ है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

महोदय, पहली बार भी ये पहले दो शब्द कहे गए थे, अब तीसरा शब्द जोड़ा गया है, लेकिन न सबका साथ हुआ, न सबका विकास हुआ। इस तरह कथनी और करनी का यह बहुत बड़ा फर्क रहा। हम यह उम्मीद करते हैं कि यह जो फर्क है, प्रधान मंत्री जी उसको दूर कर सकते हैं।

उपसभापति जी, जहाँ तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रश्न है, यह दुख की बात है और मुझे यह कहते हुए भी बुरा लगता है कि वह नीरस है, निराशाजनक है। यह केवल प्रधान मंत्री की, सरकार की घोषणाओं और चुनाव के नतीजों के बाद के केबिनेट के फैसलों को दोहराता है। जाहिर है राष्ट्रपति जी को यह करना है, यह राष्ट्रपति जी का इस साल का दूसरा अभिभाषण है, पर इसके अलावा उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे इस अभिभाषण के अंदर पिछले पाँच सालों का हिसाब देंगे, लेकिन उन पाँच सालों का हिसाब नहीं आ रहा, कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है।

उपसभापति जी, यह प्रजातंत्र की जरूरत है। जो पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, वह मेनिफेस्टो लाती है, वायदे करती है, जैसे 2014 में बड़े-बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन हिंदुस्तान उनके पूरे होने का इंतजार कर रहा है। यह केवल जनादेश की बात नहीं है, इसमें वायदाखिलाफी हुई है, इसलिए उसका जवाब देना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा और यह एक सलाह भी है कि आप उतने ही वायदे करो, जो पूरे कर सको, लोगों में न तो गलत उम्मीद जगाओ और न ही उन्हें नाउम्मीद करो।

उपसभापति जी, प्रधान मंत्री जी और आपको शब्दों का शौक है। बहुत शब्द सुने, अब तो शायद कोई नई शब्दावली बनेगी। 2014 से एक मानसिकता से मुक्ति नहीं मिल रही-हमसे भी मुक्ति मांगना चाहते थे, पर वह भी नहीं मिलेगी, वह मानसिकता है कि 2014 में हिंदुस्तान पहली बार जागा, पहली बार हिंदुतान की पहचान हुई। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, 2019 में भी डाल दिया गया कि 2014 में

[श्री आनंद शर्मा]

हिंदुस्तान के विकास का, डेवलपमेंट का सफर शुरू हुआ। महोदय, इसकी नींव 2014 में रखी गई तो 15 अगस्त, 1947 को, जब राष्ट्रपिता भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, सरदार वल्लभभाई पटेल जिंदा थे, मौलाना आजाद जिंदा थे, अम्बेडकर जी जिंदा थे, उस दिन किस हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई थी? अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, ऐतिहासिक लड़ाई, जिसमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोग लड़े थे, लाखों लोग जेलों में गए थे, फाँसी के फंदों पर चढ़े थे, जिन्होंने कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आजादी दी, वह कौन सा हिंदुस्तान बना था? क्या 1947 से लेकर 2014 तक यह देश सोया हुआ था, जो आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ी - **Stand-up India, Start-up India**, खेलो इंडिया? न देश जागा हुआ था, न कोई विकास हुआ था, न ही देश के बच्चे खेलते थे, सब कुछ 2014 से शुरू हुआ, माननीय, यह मानसिकता स्वस्थ नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसका त्याग करें और काम करें।

राष्ट्रपति जी का यह अभिभाषण जमीनी हकीकत को नकारता है। आप जनता के विवेक को चुनौती दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें कोई नई रोशनी नहीं है। आप जनादेश की बात कहते हैं, हमने तो स्वयं बार-बार बधाई दी। गुलाम नबी जी भी आ गए, सबने कहा, पर यह विजय-पराजय तो प्रजातंत्र का अंतरंग हिस्सा है। चुनाव होता है, तो एक जीतता, एक हारता है। आप जीत गए। आपमें से कुछ लोग खुद ही हैरान हैं कि इतनी बड़ी जीत हो गई। मैं अभी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हम यहाँ बैठे हैं, हम उम्मीद जरूर रखते थे कि शायद हम आपको वहाँ से यहाँ ले आएँ। हम सारे ही सोचते थे, पर जो भी हुआ, जनादेश है। हम यहीं बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, पर हम एक चीज जरूर कहेंगे कि आपकी और हमारी, दो अलग-अलग विचारधाराएँ हैं। चुनाव के बाद इस सदन में और उस सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे नेताओं के बारे में बहुत बातें कही गईं। उन नेताओं के बारे में, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश को बनाया है, देश को मजबूत किया है। उन पर हमको भी नाज है, हिंदुस्तान को भी नाज है और दुनिया भी उनको सलाम करती है। यह विचारधाराओं का टकराव रहेगा। प्रजातंत्र में होता है, कोई एक विचार तो नहीं होता।

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, आपसे अनुरोध है कि आप चेयर को देख कर सम्बोधित करें।

श्री आनन्द शर्मा: कैसे बोलना है, मैं जानता हूँ, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, ठीक है, आप बोलते हैं, पर आपसे आग्रह है।

श्री आनन्द शर्मा: देखिए, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ।

श्री उपसभापति: ठीक है, आप बोलें।

श्री आनन्द शर्मा: मैं सम्बोधन आपको ही कर रहा हूँ। अब देखूँ भी यहाँ पर, यह सम्भव नहीं है।

माननीय उपसभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की अपनी एक भूमिका है और वह भूमिका विपक्ष को निभानी है। जहाँ सरकार अच्छा काम करेगी, सरकार को रचनात्मक सहयोग मिलेगा। जहाँ देश की कोई उपलब्धि हो उसको स्वीकार करें। जहाँ देश की संस्थाओं को बधाई देने का अवसर हो, हम ऐसा करेंगे, पर देश की जनता यह उम्मीद करती है कि देश का विपक्ष मजबूत रहे, वह लोगों की आवाज उठाए, सरकार को चेताए, सरकार को जगाए, सरकार की आलोचना करे, निंदा नहीं, आलोचना करे और अगर आपकी कोई नीति गलत हो, तो उसका विरोध करे। आज मैं इस सदन में कहता हूँ, कोई भी नतीजा आया हो, हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जहाँ हम देखेंगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो आपका विरोध होगा। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे

बुजुर्गों ने कहा कि देवताओं का रथ भी एक पहिए पर नहीं चलता। संस्कृत में कहा गया है- "नमकम चक्रं परिभ्रमायति।" एक पहिए पर देवता का Chariot नहीं चलता, तो प्रजातंत्र का रथ भी दो पहिए पर ही चलता है। केवल आप इसे नहीं चला सकते, हम भी जरूरी हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ। यह संतुलन के लिए भी आवश्यक है।

आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं वर्षगाँठ की बात की है, उनकी जयंती की बात की है। राष्ट्रपिता को याद करना, उनके संदेश को समझना, उनके मूल्यों को, सिद्धांतों को समझना, उन्होंने कैसा जीवन जीया, इसे समझना, बहुत अच्छी बात है। जो देश सदियों से गुलाम था, जहां के लोग कमजोर थे, गरीब थे, आहत थे और लम्बे अरसे से उन्हें अपनी आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी, ऐसे लाखों-करोड़ों लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को शिकस्त दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रपिता के प्रति हम आदर के साथ यह कहते हैं कि हमारा सौभाग्य था कि एक समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। हम बापू को अवश्य याद करें, 2022 में आजादी के 75 साल मनाने की बात भी करें, लेकिन यह केवल स्मरण करने की बात नहीं है, यह अनुसरण करने की भी बात है। उन्होंने जो कहा था, हम उनके उन संदेशों पर भी चलें। केवल चश्मा और फोटो नहीं लगाएं, हम यह भी देखें कि उनके संदेश क्या थे? हम उन पर चलें। मैं यह बात गंभीरता से कह रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा। लेकिन इस जयंती के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में 86 नम्बर पैरा पर लिखा गया है। उसके पहले के 85 पैरा तो स्तुतिगान के हैं, उसके बाद यह लिखा गया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात भी कही गई है। बड़ी अच्छी बात है, माननीय प्रधान मंत्री जी इसे मनाते हैं, देश मनाता है, देश मनाता है, दुनिया देखती है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, पूरे देश को इसकी बधाई। प्रधान मंत्री जी, आपको भी बधाई, आप स्वस्थ रहें और योग करते रहें। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जब आप गांधी जी की जयंती के 150 साल की बात करते हैं, तो उसी United Nations ने 2 अक्टूबर को, जो महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसे International Day of Non-Violence के रूप में करार दिया है, तो आप उसको क्यों नहीं मनाते? प्रधान मंत्री जी और और आपकी सरकार ने इस अभिभाषण में उसके बारे में कुछ नहीं कहा। आज देश को अहिंसा के संदेश की जरूरत है। जब आज सब तरफ आग लग रही है, दिन-दिहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, वे तस्वीरें देखी नहीं जातीं, ऐसे में अगर गांधी जी की 150वीं जयंती पर दुनिया उनके देश की ये तस्वीरें देखेगी, तो वह हिन्दुस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। यह देश आपका और हमारा बराबर है। आपके माध्यम से हम यह संदेश माननीय प्रधान मंत्री जी को देना चाहते हैं। देश सुनना चाहता है, देश ऐक्शन देखना चाहता है कि आप क्या करेंगे?

मैं एक चीज और कहूंगा, आपने बहुत अच्छा किया कि आजादी के संग्राम को याद किया और भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताया, जो 1942 में महात्मा गांधी जी की अगुवाई में हिन्दुस्तान के लोगों ने लड़ा। मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने महात्मा गांधी जी के साथ-साथ सरदार पटेल का भी स्मरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रिम पंक्ति के एक योद्धा थे, गांधी जी के अनुयायी थे, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता भी थे। बारदोली सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। आपने उनकी प्रतिमा बनाई, उसके लिए भी धन्यवाद। डा. अम्बेडकर का योगदान ऐतिहासिक है, हम सब उनको सम्मान से नमन करते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे कारण पूछ सकता हूँ कि आपके इस अभिभाषण में और पिछले पांच साल से जो अभिभाषण आ रहा है, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों नहीं है: अंग्रेजों के साथ लड़ाई में

[श्री आनंद शर्मा]

महात्मा गांधी और पटेल के साथ-साथ अग्रिम पंक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। अंग्रेजों की जेल में सबसे ज्यादा समय अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी ने गुजारा, तो वे जवाहरलाल नेहरू थे। वे कोई माफीनामा देकर बाहर आने वालों में से नहीं थे, वे पंडित नेहरू थे। उस समय वे कैद में ही थे, जब उन्होंने दो महान ग्रंथ - 'The Discovery of India' and 'Glimpses of World History' लिखे थे। आप उनको भी पढ़ें। हिन्दुस्तान के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन इन ग्रंथों को भी जानें कि एक नेता, जो जेल में रहा, तब उसने ये ग्रंथ लिखे। जिसके परिवार को आप कोसते हैं, कोसते रहेंगे, लेकिन उस समय उस परिवार ने सब कुछ त्यागा था, कुर्बानी दी थी। आज आपको इसमें इतना ज्यादा कष्ट क्यों है? मैं एक चीज कहूँगा कि जहाँ आप पंडित जी की बात कहते हैं, भारत छोड़ो आन्दोलन की बात करते हैं, तो सरदार पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम नेता 8 अगस्त की रात्रि को, मध्य रात्रि को, मध्य रात्रि 9 अगस्त, 1942 को कैद कर लिये गये थे। तमाम नेता जेल में रहे। 1945 तक कांग्रेस का नेतृत्व जेल में था। कांग्रेस पर पाबन्दी लगा दी गयी थी, Congress was a banned organisation, परन्तु हिन्दुस्तान के लोग वह लड़ाई लड़ते रहे। आज आप नया इतिहास कहते हैं। आप योग करिए, परन्तु इतिहास का, तथ्यों का और सच्चाई का शीर्षासन मत कराइए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

जहाँ महानायक गांधी जी की बात करते हैं, इतिहास के पन्नों में वह भी दर्ज है और मैं चाहूँगा कि एन दिन यह सदन Quit India Movement पर, आजादी की लड़ाई पर चर्चा करे, ताकि यह बात हम सदन में रख सकें कि वे कौन लोग थे, जो जेल में गये और वे कौन लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों को लिख कर दिया, गवर्नर जनरल को और गवर्नर्स को, कि इस भारत छोड़ो आन्दोलन को कुचल दीजिए और इनको जेल में डालें, यह Her Majesty's Government के खिलाफ बगावत है। सूबों में कांग्रेस की सरकारें टूटीं, इस्तीफे हो गये। दो सूबे थे, जो हमारे बँटवारे के समय में भी बड़ी तकलीफ में गये थे- बंगाल और पंजाब। उन सूबों में कांग्रेस की सरकारें गईं, तो किसने आश्वासन दिया कि हम alternate Government बनायेंगे और कौन उसमें शामिल हुए? बंगाल में कौन थे, मुख्य मंत्री कौन थे-फजलूल हक। उनके उप मुख्य मंत्री कौन थे, जानते हैं? तो हमें नहीं समझाएँ कि सच्चाई क्या है। ...**(व्यवधान)**... इनको, सबको मालूम है। मैं तो चर्चा चाहता हूँ। मैं उनका सम्मान से ही नाम लूँगा, क्योंकि वे पंडित जी की कैबिनेट में भी बाद में आये थे। वे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। परन्तु मैं एक चीज कहूँगा। ...**(व्यवधान)**... वे मुस्लिम लीग के थे। दो ही सूबों में सरकारें बनीं। जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकारें गयीं, उस समय की हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिल कर सरकारें बनायीं, अंग्रेजों का साथ देने के लिए। यह सच्चाई है। ...**(व्यवधान)**... सच्चाई कभी-कभी कड़वी होती है, हकीम की खुराक भी कड़वी होती है, सुन लीजिए। मैं एक चीज कहूँगा कि आपकी सोच संकुचित क्यों है? आपने पंडित जी के विषय में कहा। प्रधान मंत्री ने कहा। एक बार उन्होंने लाल किले से कह दिया कि तमाम पूर्व प्रधान मंत्रियों का मैं सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। उन्होंने काम किया, जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने काम किया, इंदिरा गांधी जी ने काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी काम किया। राजीव गांधी जी का बड़ा योगदान है, उनकी भी शहादत है। नरसिम्हराव जी का भी जिक्र है, उनके समय में भी काम हुआ, संस्थाएँ बनीं। डा. मनमोहन सिंह 10 साल रहे। हम यह नहीं कहते कि आपके 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। जहाँ कुछ गलत होता है, उसी की तो हम बात करते हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आज अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में टिप्पणियाँ की हैं। मुझे दुख है। हम लोग आजाद हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं, जिन्होंने बलिदान करके, संघर्ष करके हमें आजादी दी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपने जीवनकाल में, सदन में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, इन सबके बारे में कड़वे शब्द सुनूँगा। ऐसा नहीं हो, तो अच्छा है। मैं इस सदन में कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा, क्योंकि बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। सरदार पटेल पहले प्रधान मंत्री बनते, जब चुनाव हुआ, कांग्रेस के अधिकांश एम.पीज़. सरदार पटेल के साथ थे, परन्तु गांधी ने, उन्होंने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पंडित नेहरू को बना दिया। गांधी जी तो 30 जनवरी, 1948 को शहीद हो गये थे। सरदार पटेल हमारे पहले गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधान मंत्री थे, पंडित जी के साथ थे और 1950 के दिसम्बर में उनका निधन हो गया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी ये बातें कही हैं। दुख होता है। देश का पहला चुनाव ही अप्रैल, 1952 में हुआ था। कहाँ से ये खबरें आ रही हैं? किसने बताया? कौन सी किताब में लिखा है? हमको भी बताइए, थोड़ा ज्ञान दीजिए। जब पंडित जी के 60 साल हुए, एक अभिनन्दन ग्रंथ निकला, सब नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये।

महोदय, 14 अक्टूबर, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या लिखा, मैं उनकी कुछ पंक्तियाँ यहां पढ़ता हूँ - 'जवाहरलाल नेहरू और मैं साथ-साथ कांग्रेस क सदस्य, आजादी के सिपाही, कांग्रेस की कार्यकारिणी और अन्य समितियों के सहकर्मी, महात्मा जी के अनुयायी, जो दुर्भाग्य से हमें बड़ी जटिल समस्याओं के साथ जूझने को छोड़ गए।' आगे वे लिखते हैं, चूंकि लेख लम्बा है, मैं यहां कुछ पंक्तियाँ ही पढ़ता हूँ - 'आयु में बढ़े होने के नाते मुझे कई बार उन समस्याओं पर परामर्श देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो शासन-प्रबंध और संगठन के क्षेत्र में हम दोनों के सामने आती हैं। मैंने सदैव उन्हें सलाह लेने को तत्पर और मानने को राजी पाया है। कुछ स्वार्थप्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियाँ फैलाने का यत्न किया है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी करते हैं, किन्तु वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारी और बंधुओं की भांति साथ-साथ काम करते रहे हैं।'

अंत में मैं कुछ शब्द, जो सरदार पटेल ने अंग्रेजी में लिखे, उन्हें पढ़ना चाहता हूँ - 'This familiarity, nearness, intimacy, and brotherly affection, make it difficult for me to sum him up for the public appreciation. But then, the idol of the nation, the leader of the people, the Prime Minister of the country, and the hero of the masses, whose noble record and great achievement is an open book, hardly needs any consideration from me.'

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधान मंत्री रहे हैं। उनका बड़ा व्यक्तित्व था और वे विशाल हृदय के थे। उनका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था। कड़वी बात नहीं बोलते थे। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा, मैं भी दोहराता हूँ और सब कहते हैं कि हम सब अटल जी का बहुत सम्मान करते थे, हृदय से करते थे, हृदय से करते थे। हमारी विचारधारा अलग है परन्तु देश तो अपना है। वे भी भारत के प्रधान मंत्री थे। नरेन्द्र मोदी जी भी भारत के प्रधान मंत्री हैं, हम सबके प्रधान मंत्री हैं। अटल जी ने जो कहा था, कम-से-कम उसका तो सम्मान कीजिए। अटल जी ने 29 मई, 1964 को इसी सदन में कहा था-

'हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोकमग्न है। उसका सबसे लाड़ला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्नमना है। उसकी पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया। जन-जन की आंख का तारा टूट गया। यवनिकापात हो गया। विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता, अपना अंतिम अभियन दिखाकर अन्तर्ध्यान हो गया। संसद में

[श्री आनंद शर्मा]

उनका अभाव कभी नहीं भरेगा। शायद तीन मूर्ति को उन जैसा व्यक्ति कभी भी अपने अस्तित्व से सार्थक नहीं करेगा। वह व्यक्तित्व, वह जिन्दादिली, विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वह भावना, वह सज्जनता, वह महानता शायद निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। मतभेद होते हुए भी, उनके महान आदर्शों के प्रति, उनकी प्रमाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। - अटल बिहारी वाजपेयी।

कम-से-कम आप इसे अपनाएं। सरदार पटेल जी को सही श्रद्धांजलि यही होगी जैसा उन्होंने कहा था कि पंडित नेहरू की आलोचना बंद कर दो। अटल जी को भी, केवल अटल योजना से काम नहीं होगा, अटल जी के शब्द सुनिए। उन पर सोचें और फिर आत्मचिन्तन करें, क्योंकि सरकार आपके पास है, देश आपको चलाना है। सही रास्ते पर देश चलना चाहिए।

हमारे साथियों द्वारा यहां कहा गया और जो अभिभाषण में भी है - नए भारत की बात है - 2014 में यह सफर शुरू हुआ, हमने कहा कि यह 2014 का नहीं, बड़ा पुराना सफर है। इस देश की जो बुनियाद है - प्रगति की, निर्माण की - वह आज़ादी के तुरन्त बाद रखी गई। उसके साथ 26 जनवरी, 1950 को, जब भारत का संविधान लागू किया गया, भारत गणतंत्र बना, Republic of India, शायद लोग समझते नहीं हैं कि आज इसके मायने कितने गहरे हैं कि - **What the Republic of India means.** भारत गणराज्य का क्या मतलब है? कृपा करके सरकार महामहिम जी को जो लिख कर देती है, उसमें ऐसा न लिखे कि 15 अगस्त, 1947 और 26 जनवरी, 1950 कुछ नहीं थे और 26 मई, 2014 से ही हिन्दुस्तान.... यह जरा कृपा करें कि इतना अन्याय इस देश के साथ बंद करें। आपका नया इंडिया क्या है? मुझे नहीं मालूम, देश को भी नहीं मालूम। कल आज़ाद साहब ने ठीक कहा, जो हिन्दुस्तान बना था, जो संविधान निर्माताओं ने हमको दिया, जो हमारे संविधान के Preamble में लिखा है। अभी कल ही National Archives ने वह कागज निकाले हैं, जिसमें यह है कि 23 जुलाई, 1947 को संविधान सभा में झंडा प्रस्ताव आया था। इसको पं. जवाहरलाल नेहरू ने रखा और डॉ. राधाकृष्णन ने उसका अनुमोदन किया। दूसरा, 13 दिसम्बर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने Objectives resolution रखा था, वही आज के Constitution का Preamble है। ये बातें समझना जरूरी है। आपको खले, यह अच्छी बात नहीं है। जो भारत बनाया था, जो संविधान में है, वह एक उदारवादी, समावेशी, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी प्रजातंत्र है। हम पंथ निरपेक्ष हैं, क्योंकि हमारा देश बहुधर्मी और बहुभाषी देश है। हजारों वर्षों से हिन्दुस्तान ने सबको स्वीकार किया है, सबका सम्मान किया है, तभी तो हम एक खूबसूरत गुलदस्ता हैं। अगर आप एक ही तरह का भोजन सुबह से रात तक करें, एक ही कपड़ा डालें, एक ही विचार करें, एक ही जाप करें, बगीचे में एक ही रंग के फूल लगाएं, तो बगीचे में अगले दिन घूमने का मन नहीं करेगा, इसलिए अलग-अलग होना चाहिए। भारत की विविधता को स्वीकार कीजिए और उसका सम्मान कीजिए, यह मैं आपसे कहूंगा। पर, इस संबंध में इसमें कोई मेशन नहीं है, कोई जिक्र तक नहीं है कि हमारे देश ने 2014 से पहले कुछ उपलब्धियां प्राप्त की थीं। वे संस्थाएं देश के लोगों ने बनाई, उपलब्धियां हमारे वैज्ञानिकों की हैं, शौर्य की गाथाएं हमारी सैनिकों की हैं, उनके बलिदान की हैं। हमारे उस वक्त की सरकारों के विवेक की, उनके दर्शन और सोच की भी बात है। दुनिया के हर देश को अपनी उपलब्धियों पर गर्व होता है। आपको क्यों नहीं होता है? इसका क्या कारण है? वही हिन्दुस्तान तो है, उसी संविधान के तहत तो चुनाव हुआ, जो वोट का अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिले। अगर वह नहीं होता, तो

कहां हम आपसे मुखातिब होते, क्या पता हम लोग कहां होते। यह सूची बहुत लंबी है और इसको मैं सभा पटल पर जरूर रखूंगा, पर, कुछ उल्लेख अवश्य करूंगा।

...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, आपके दो मिनट और हैं।

श्री आनन्द शर्मा: सर, दो मिनट नहीं हैं, अभी तो सदन में और कोई काम ही नहीं है।
...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: ऐसा नहीं है, दोपहर लंच तक सदन चलना है। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, अभी लंच का समय कहाँ हुआ है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपके बाद चार स्पीकर्स और हैं ...(व्यवधान).... यह आप सबने की तय किया है।
...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, आप मुझे समय दे दीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात सम अप करें। ...(व्यवधान)...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आजाद): सर, अभी हमारी पार्टी के 11 मिनट समय बाकी हैं।
...(व्यवधान)...

آقا قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): سر، ابھی ہماری پارٹی کے گیارہ منٹ وقت باقی ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री उपसभापति: आप वरिष्ठ लोगों ने ही समय तय किया है। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, अभी हमारे 11 मिनट हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, आप अपनी बात कहिए। ...(व्यवधान).... कृपया आप लोग शांति रखें।
...(व्यवधान).... आनन्द जी बोल रहे हैं, कृपया आप धैर्य से उन्हें सुनें। ...(व्यवधान).... कृपया पीछे से आवाज न करें। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, हिन्दुस्तान में Indian Institutes of Technology 1951 से बनने शुरू हुए और पहला Indian Institutes of Technology खड़गपुर में बना। माननीय प्रधान मंत्री जी के राज्य गुजरात में Indian Institutes of Management, Ahmedabad 1961 में बना। National Institutes of Design, 1963 में, National Institutes of Science बेंगलुरु में, Department of Atomic Energy, 1954 में कायम किया गया। भाभा ऐटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे में 1957 में बन गया। Department of Space Sciences 1955 में बन चुका था। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की नींव 5 अप्रैल, 1961 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और सरदार पटेल के सम्मान में उसका नाम नर्मदा सरोवर से बदल कर सरदार सरोवर बांध रखा था। सर, भाखड़ा नांगल बांध सन् 1955 में बना। इन सब की नींव नेहरू जी की रखी हुई हैं। इन्दिरा गांधी जी के समय हम एक परमाणु शक्ति बने। सन् 1947 में पोखरण में विस्फोट हुआ और हमने दुनिया को दिखाया कि भारत सक्षम है। अंतरिक्ष में हम सन् 1975 में चले गए, जब आर्यभट्ट सैटेलाइट छोड़ा गया। उसके बाद जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब सूचना एवं प्रौद्योगिकी, Information and technology की, चार की, communication की क्रांति आई।

[श्री आनंद शर्मा]

वह योगदान भी इतिहास के पन्नों पर अंकित है। उसके बाद उदारीकरण हुआ, तब डा. मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। यह भी हम जानते हैं कि 90 के दशक में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ था। इस देश ने संकट भी देखे हैं, इस देश ने युद्ध भी लड़े हैं। हम सब बातें स्वीकार करते हैं कि सन् 1965 में शास्त्री जी ने नेतृत्व किया और कारगिल के समय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं। जब 10 साल डा. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, तब कॉंग्रेस ने आठ नए Indian Institutes of Technology खोले, Indian Institutes of Management खोले, सन् 2008 में चन्द्रयान रवाना कर दिया, सन् 2013 में मंगलयान रवाना कर दिया। ये सभी उपलब्धियाँ हैं, भारत के लिए गर्व की बात है। बेहतर होता कि इस अभिभाषण में इनकी भी कहीं चर्चा हो जाती।

आपने भारत की जी.डी.पी. को पाँच ट्रिलियन डॉलर करने के लिए कहा है। यह बढ़नी चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी होगी। उपसभापति महोदय, प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैण्ड को अपनी जी.डी.पी. को दोगुना करने में 12 साल लगे थे, दूसरी औद्योगिक क्रांति के बाद अमेरिका को भी 12 साल लगे थे, दुनिया का पहला देश जापान बना था, जिसने एक दशक में जी.डी.पी. तीन गुना की थी, उसके बाद साउथ कोरिया ने किया, चीन पहला देश बना जिसने एक दशक में अपनी जी.डी.पी. को तीन गुना किया, लेकिन जब डा. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब हिन्दुस्तान दुनिया का पहला देश बना, जिसने अपनी जी.डी.पी. चार गुना की थी। हम दो ट्रिलियन डॉलर पर छोड़कर गए थे और इस अभिभाषण में लिखा है कि निराशा थी, अंधकार था। मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गए? आज हमारी 2.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हैं, आप पाँच साल में सिर्फ 0.8 परसेंट बढ़ा पाए हैं। आप पहले दो ट्रिलियन डॉलर को हटा दीजिए, क्योंकि आपको कुछ मिला ही नहीं था, तो आपकी जी.डी.पी. कहाँ जाती? यह जी.डी.पी. कहाँ से आ गई? क्या आप इसे साथ लेकर आए थे या आपके पास पहले से थी? आप ऐसी बातें मत करो। आज देश में आर्थिक मंदी है और नौजवान बेकार है। आशा और प्रवचन से नौजवान का पेट नहीं भरेगा। उसे नौकरी चाहिए। उद्योग टूट रहा है और भारत की जी.डी.पी. पिछले पाँच साल की सबसे कम 5.8 परसेंट पर नीचे गिर गई। उसका भी एक नया फॉर्मूला है, जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊँचे स्तर पर है। आप न्यू इंडिया मत बनाइए, पहले इसे ठीक चलाइए। आज किसान की हालत खराब है। कृषि क्षेत्र में 2.9 प्रतिशत की बढ़त है। आप कहते हैं कि किसान की आय सन् 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। उसके लिए आपको इसे कम से कम 18-19 प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा और आप यह किसी अर्थशास्त्री से पूछ लें कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, जी.डी.पी. वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको अब से सन् 2024 तक 12 प्रतिशत जी.डी.पी. हर साल बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर यह पाँच ट्रिलियन डॉलर होगा। आप सिर्फ लिख दें, तो बात अलग है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। कृपा करके ऐसा काम करें, जिससे देश सुधरे, भविष्य सुधरे और नौजवान को रोजगार मिले, पर अब रोजगार के साथ उद्योग भी टूट गया, निवेश भी टूट गया। Investment सात प्रतिशत टूटा है। बैंकों के पास पैसा नहीं है और उद्योग पैसा नहीं ले रहा है। सरकार पब्लिक investment नहीं कर रही है और भारत आगे बढ़ रहा है, न्यू इंडिया बन रहा है। आपके उद्योग का जो उत्पादन है, index of industrial production, वह आपके पाँच सालों में 2 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत रहा।...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, आपने तय समय से पाँच मिनट अधिक बोल लिया, अब कृपया आप समाप्त करें। अभी चार और वक्ता हैं।

श्री आनन्द शर्मा: मेरे चार मिनट अभी बाकी हैं। मैं अभी चार-पाँच मिनट और बोलूँगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी, चार मिनट में ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: उपसभापति महोदय, मैं बड़े आदर के साथ आपसे और सरकार से भी कहता हूँ कि कई बार सदन में कुछ ऐसी बातें रखी जाती हैं, जिन्हें सुन लेना चाहिए।

श्री उपसभापति: सभी बहुत ध्यान से आपको सुन रहे हैं, लेकिन जो समय आप लोगों ने तय किया है, उसी का मैं अनुपालन कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: देखिए, इस अभिभाषण में कहा गया, "वन नेशन, वन इलेक्शन। यह व्यवहारिक नहीं है। आपकी सोच अलग है। देश का संघीय ढाँचा है, federal Polity है, देश में विविधता है। हमारा अनुभव बताता है कि जब राज्यों की सरकारें टूटीं, वैकल्पिक सरकार नहीं बनी, तो मध्यावधि चुनाव हुए। आप forced majority नहीं कर सकते, आप impose नहीं कर सकते। आप राज्यों को उनके चुनाव से वंचित नहीं कर सकते। अगर राज्यों में सरकारें गिर जाएँ, वैकल्पिक सरकार न बने, तो क्या राष्ट्रपति शासन करेंगे या यहाँ से हुक्मनामा जारी करेंगे कि नहीं, फलां-फलां लोग मिलकर सरकार बना लो? यह नहीं चलेगा। मैं आपकी सोच समझता हूँ। एक देश हो, लेकिन एक चुनाव, एक चेहरा, एक नाम, एक विचारधारा हिन्दुस्तान को मंजूर नहीं है।

मैं दो बातें और कहूँगा। हम चुनाव के रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। यह जरूरी हो गया है, क्योंकि इस चुनाव में आप जीते, पर हमने जो देखा-प्रचंड प्रचार, अभूतपूर्व साधन, पैसा, यह समझ में नहीं आया। यहाँ मोती लाल वोरा जी बैठे हैं, जो हमारी पार्टी के खजांची रहे हैं। यहाँ अभी अहमद पटेल जी नहीं हैं। आप अमित शाह जी को कहिए कि वे थोड़ा-सा इन दोनों को भी बता दें, यहाँ बड़ी तकलीफ है। यह कहाँ से आ रहा है? कोई पारदर्शिता नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास बी.जे.पी. की अपनी फाइलिंग है कि जो इलेक्टोरल बॉण्ड्स आए हैं - इलेक्शन कमीशन के पास आपकी यह फाइलिंग है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास सब कागज हैं, मैं तैयारी से आता हूँ। जो इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी किए गए, उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है। 95 प्रतिशत पैसा, इलेक्टोरल बॉण्ड्स का चंदा बड़े-बड़े उद्योगों से भारतीय जनता पार्टी को मिला। सबका साथ, सबका विकास(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, एक मिनट और है, अब आप अपनी बात खत्म करें।

श्री आनन्द शर्मा: अभी तो बोलूँगा। मैं आखिरी बात बोलूँगा। मैं आखिरी बात कहूँगा, जो मैं समझता हूँ कि आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देशभक्ति, राष्ट्रवाद, भारत की फौज, हमने इस चुनाव में यह सुना, देश में यह चर्चा हो गई। मैं आज अपनी तरफ से और तमाम विपक्ष की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारत का सवाल है, हिन्दुस्तान की एकता का सवाल है, हिन्दुस्तान की सुरक्षा का सवाल है, हिन्दुस्तान एक है, हमारी एक आवाज है। उसमें कोई अलग बात नहीं हो सकती, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। India's unity and security is non-negotiable. यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहती है और समझती है, क्योंकि हमने बलिदान दिए हैं, दो-दो प्रधान मंत्री शहीद हुए हैं, पर

[श्री आनंद शर्मा]

इस बात पर देश को बाँटना, इस पर लकीर खींचना ठीक नहीं है। जो आपके साथ हो, वह राष्ट्रभक्त, जो आपकी आलोचना करे वह राष्ट्रद्रोही, यह स्वीकार्य नहीं होगा। ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, आप अब खत्म करें, मैं दूसरे सदस्य को आमंत्रित करूँगा।

श्री आनन्द शर्मा: मेरा आपसे आग्रह है, वोट के लिए कृपा करके देश को न बाँटें। यह बड़ा खतरनाक होगा। मुझे एक चीज जरूर कहनी है।

श्री उपसभापति: आनन्द जी।

श्री आनन्द शर्मा: मैं खत्म करूँगा, पर टोका-टोकी बन्द हो जाए।

श्री उपसभापति: प्लीज, आप खत्म करें। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ और आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप खत्म करें। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सब लोग चाहते हैं, सभी आराम से सुन रहे हैं।

श्री उपसभापति: आप वरिष्ठ आदमी हैं। अगर आप समय का पालन नहीं करेंगे, तो मैं दूसरों से कैसे अपेक्षा करूँगा?

श्री आनन्द शर्मा: ठीक है।

श्री उपसभापति: आप ऑलरेडी अपने समय से 10 मिनट ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री आनन्द शर्मा: मैं अब खत्म कर रहा हूँ न।

श्री उपसभापति: ठीक है, कीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: प्यार से खत्म करने दीजिए।

श्री उपसभापति: हाँ, बिल्कुल कीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: मुझे आपसे एक चीज कहनी है कि हिन्दुस्तान ने आजादी के बाद कई जंग लड़ी हैं, युद्ध लड़े हैं। 1965 भी लड़ा, 1971 भी लड़ा। यहाँ कोई जिक्र हुआ, इसलिए मैं कहना जरूरी समझता हूँ, ताकि रिकॉर्ड ठीक रहे। चूंकि आपकी सरकार में मंत्री भी हैं, जो फौज में भी रहे हैं -- कि बंगलादेश के युद्ध का कांग्रेस ने भी, इंदिरा गाँधी ने भी फायदा उठाया। महोदय, मैं यह कहना जरूरी समझता हूँ कि वर्ष 1971 का चुनाव मार्च महीने में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी दो-तिहाई बहुमत से जीतकर आया थीं। बांग्लादेश का युद्ध 3 दिसम्बर, 1971 और 16 दिसम्बर, 1971 में लड़ा गया। 16 दिसम्बर को भारत ने विजय की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर किसी फौज की सबसे बड़ी जीत हुई, तो भारत की सेना की जीत हुई। पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया, एक लाख के करीब बंदी आए। तब इसी संसद के अंदर उस समय के विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा कि इंदिरा जी, आप दुर्गा का रूप हैं ...(व्यवधान)... आप बात छोड़िए।

श्री उपसभापति: आनन्द जी, आप कृपया करके अपनी बात समाप्त कीजिए।

सुश्री सरोज पाण्डेय (छत्तीसगढ़): यह कहीं नहीं लिखा है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, प्लीज आप अपनी बात कहिए ...(व्यवधान)... आप अपनी बात समाप्त कीजिए, फिर मैं दूसरे स्पीकर को allow करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, मैं बहस नहीं करना चाहता। ...(व्यवधान)... मैं सेना की बात कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ। आप मेरी बात सुनिए।

श्री उपसभापति: मैं दूसरे वक्ता को बुलाने के लिए बाध्य हूँ।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, मेरी बात सुनिए।

श्री उपसभापति: आनन्द जी, आप कृपा करके अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, मैं आपस एक चीज कहूंगा। आपको इस पर आपत्ति होगी, किंतु जो उस समय अगले दिन अखबारों में छपा, मैं आपको निकाल कर भेज दूंगा। नेशनल आर्काइव्स में कागज पड़े हैं, आप निकाल कर पढ़ लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब वाजपेयी जी को अपने जीवनकाल में आपत्ति नहीं थी। आप कृपया करके मेरी बात सुनिए।

श्री उपसभापति: आनन्द जी, आप कृपा करके अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, आनन्द जी थोड़ी वहां से कहा रहे हैं। आनन्द जी तो यहीं से बोल रहे हैं।

श्री उपसभापति: आप यहां से सीधे अपनी बात कहिए, आपस में बात न करें। अगर आप वरिष्ठ लोग आपस में बात करेंगे तो कैसे चलेगा?

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, मैं कहां बात कर रहा हूँ?

श्री उपसभापति: आप चेयर को संबोधित करके अपनी बात समाप्त कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, इंदिरा जी ने अटल जी को प्रशंसा का एक जवाब दिया कि अटल जी यह मेरी जीत नहीं है, यह मानवता की जीत है जो वहां पर कत्ल-ए-आम हो रहा था, एक करोड़ शरणार्थी हिन्दुस्तान में थे। ये भारत की सेना की जीत है, ये सच्चाई की जीत है।

श्री उपसभापति: श्री अब्दुल वहाब...

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति: आपका समय पूरा हो गया। आपने समय से 12 मिनट ज्यादा बोला है।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, क्या हो गया, कोई भूकम्प नहीं आ गया है।

श्री उपसभापति: आपने पहले बात समाप्त करने के लिए बोला था। अभी चार वक्ता और बाकी हैं।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति: श्री अब्दुल वहाब ...(व्यवधान)... आपने पहले बात समाप्त करने के लिए बोला था। कृपा करके अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी प्रधान मंत्री जी को भी आना है। हम उनको भी सुनेंगे। आप मुझे बात समाप्त करने दीजिए।

श्री उपसभापति: समय का अनुपालन हमारे लिए है। आप सब ने मिलकर तय किया है, वही मैं कर रहा हूँ, प्लीज आप बताएं।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, अगर आपकी तरफ से कृपा रहती तो शायद बात समाप्त हो जाती। मुझे एक चीज कहनी है कि किसी प्रधान मंत्री ने, न लाल बहादुर शास्त्री जी ने, न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और न ही इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1971 में, न इस पर चुनाव लड़ा और न ये कहा कि मैं घर में घुस के मारने के लिए खुद गई थी। सेना देश की है, सेना तिरंगे को लेकर लड़ती है, सेना किसी दल की, एक नेता या एक पार्टी की नहीं है, भारत देश की है। मैं अंतिम शब्दों में कबीर की दो पंक्तियां पढ़ दूँ। संत कबीर ने कहा था कि...

"निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय,
बिनु पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।"

हमसे बातचीत करते रहो, हमारी बात सुनते रहो, तभी ठीक चलोगे, तभी पवित्र रहोगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Abdul Wahab. You have three minutes. ...*(Interruptions)*... You have only three minutes. So, just start speaking.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, according to the text given by the Government of India, the hon. President, in his Address, did not make any mention about the economic slowdown and unemployment. Sir, there is one more thing. "सब का विश्वास" यह नया स्लोगन अभी इसमें add किया गया है। वह पुराना स्लोगन है, उसके साथ सब का विश्वास भी लगाया है। विश्वास कैसे आएगा? How will it come? We have to also take others, minorities and dalit communities, into consideration. Now, another slogan has been added. Earlier, it was lynching of Muslims in the name of cow protection. Now, one more thing is added, which is, we have to say 'Jai Ram' or 'Jai Hanuman'. It has happened recently. So, by saying 'sabka vishwas', what does the President mean? How do we win over the vishwas of all sections of the society? In the case of Sabarimala, the agenda of BJP and Sangh Parivar was something else. But in the case of Triple talaq, it is different. If they really want to protect the minorities, especially our Muslim women, we are proud of that. They should protect the Muslim women. Triple talaq has already been declared void by the Supreme Court on one ground. Now, they are coming forward with another Bill to protect the Muslim women.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have one more minute.

SHRI ABDUL WAHAB: My two minutes have finished!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your two minutes are over.

SHRI ABDUL WAHAB: That is not my fault.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You have taken two minutes. I will go ahead. There are three more speakers.

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, give me one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. One more minute, and, thereafter, I will move on to the next speaker.

SHRI ABDUL WAHAB: You are talking more than us. Then, how can I speak? Everywhere, you are doing this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak.

SHRI ABDUL WAHAB: I congratulate the Government of India, especially, the Modi Ji and Amit Shah Ji team for making election engineering as a subject. I have seen so many engineering subjects but election engineering is a new subject. Shri Amit Shah team has done very well in that and they are number one in that. I would also like to congratulate them for selecting three Members from Kerala, even though we boycotted them. One is Shri K.J. Alphons. He is a nice man and he gave a nice presentation. Whatever Ministry was allocated to him, he did nice things. He should be praised in the name of Christian. In the name of actor, Shri Suresh Gopi has come. One Minister, namely, Shri V. Muraleedharan, also comes from Kerala. congratulate all of them. I wish and hope that they also do the same as Shri K.J. Alphons did. Thank you very much. *Jai Hind*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for adhering to the time limit. Now, Shrimati Saroj Pandey.

सुश्री सरोज पाण्डेय: उपसभापति महोदय, इस सदन में मेरा यह पहला भाषण है और इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लगातार चर्चा हो रही है। अभिभाषण के विषय पर विपक्ष ने अपनी बात रखी और अन्य दलों के लोगों ने भी अपनी बात रखी। माननीय उपसभापति महोदय मैं इस विषय के बारे में कहना चाहती हूँ कि भारत में लोकतंत्र का पर्व, सबसे बड़ा पर्व होता है। लोकतंत्र के पर्व में जो जनादेश मिलता है, वह जनादेश भारत की जनता का होता है। इस बार जो जनादेश मिला है, वह इस बात को प्रमाणित करता है कि यह देश इस बार एक नई आकांक्षाओं के साथ, नई आशाओं के साथ करवट ले रहा है। भारत का जन-जन नई आशाओं को आलिंगनबद्ध करने के लिए खड़ा है। पूरे देश में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को जो जनादेश मिला है... उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि दोनों हाथों से जनता ने आशीर्वाद दिया है और दोनों हाथों से अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो उस विषय को इस सदन में... मेरे लिए यह आश्चर्य का विषय था, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोगों को सुहाने सपने दिखाकर आप इस पद पर आ गए हैं, आपकी सरकार बन गई है। खुला-खुला जनादेश का अपमान इस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के दौरान किया, यह बात मुझे कभी गले नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कर पाएंगे। यह बात सच है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप गरीबों की चिंता नहीं कर पाएंगे - यह बात सच है। यह बात सच है कि आप महिलाओं की चिंता अभी तक न किए हैं और न कर पाएंगे। आपने अल्पसंख्यक वर्ग का वोट की तुष्टिकरण की राजनीति के लिए उपयोग किया है, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। आपने इस बात को सच कहा। लगातार ये चीजें आपने कही हैं और आप कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, जो हमने किया। उपसभापति महोदय, सच बात तो यह है कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो किया है, मैं आपके

[सुश्री सरोज पाण्डेय]

माध्यम से इस सदन में कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस देश की चिंता की है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश की महिलाओं की जो चिंता की, वह इस भाव के साथ की, जैसे एक पिता अपनी बेटी की चिंता करता है, जैसे एक भाई अपनी बहन की चिंता करता है। जब शौचालय बनाने की बात हुई, तो मैंने एक समाचार पत्र में कांग्रेस के एक नेता का वक्तव्य पढ़ा था कि इस देश की जनता ने शौचालय बनाने के लिए प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री नहीं बनाया है। यह आश्चर्य का विषय था। लेकिन आप उस बेटी से पूछिए, जो पूरा दिन इंतजार करती है कि सूरज ढल जाए, अंधेरा हो जाए तो मैं बाहर चली जाऊँ और अगर दिन में उसे बाहर जाना पड़ता है तो उसके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुँचती है, उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि उस आत्मसम्मान पर लगी ठेस को केवल और केवल वह बेटी, वह बेटी, वह बहन ही समझ सकती है, जो खुले में शौच जाती है। इस देश में प्रधान मंत्री जी ने इस बात की चिंता की कि शौचालय बनना चाहिए - मेरी वह बिटिया, जो बाहर जाती है, उसके आत्मसम्मान को जो रोज ठेस लगती है, उस आत्मसम्मान को ठेस न लगे, इसलिए उन्होंने शौचालय बनवाने की बात की और इसकी शुरुआत की।

महोदय, इस देश में इससे पहले भी बहुत से प्रधान मंत्री हुए हैं। आज बहुत सी बातें हुईं। मुझे लगता है कि एक बात तय है कि विपक्ष ने पांच साल में कभी भी, 2014 के बाद आज तक कभी भी सरकार की तारीफ नहीं की और कोई दिन, कोई सुबह ऐसी नहीं हुई, जिसमें इन्होंने सूरज निकलने के साथ देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को कोसने के साथ दिन की शुरुआत न की हो, लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, आज तक कोई ऐसा दिन भी नहीं बीता, जिसमें इस देश के गरीब ने दिन निकलने के साथ ही दोनों हाथों से देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को आशीर्वाद न दिया हो। आज इसका परिणाम है कि इस देश का जनादेश प्रचंड जनादेश में परिवर्तित हो गया है, आज "न भूतो, न भविष्यति" की स्थिति हो गयी है। यह जनादेश ऐसे ही नहीं मिला। अगर यह जनादेश मिला है तो इस जनादेश के पीछे बहुत बड़ा कारण भी रहा है, लगातार पांच सालों तक काम करने की ताकत रही है।

माननीय उपसभापति महोदय, "प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना" है। इस देश के प्रधान मंत्री ने देश की जनता से आह्वान किया कि जो लोग सक्षम हैं, वे सब्सिडी छोड़ दें। इस देश के इतिहास ने करवट ली और 1 करोड़, 20 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर तत्काल सब्सिडी छोड़ दी। बंधुओं, यह इस देश का इतिहास है। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि वह सब्सिडी जिस तारीख को छूटी, उसके बाद उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई।

महोदय, देश के प्रधान मंत्री एक गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी क्या होती है, यह उन्होंने देखा है, उन्होंने गरीबी को भोगा है। उन्होंने अपनी माता जी को अपने बेटे को भोजन देने के लिए गीली लकड़ी पर खाना बनाते हुए देखा है। एक मां 172 सिगरेटों के धुएँ के बराबर धुआँ अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए एक बार में अपनी छाती में उतारती है। इस देश के पहले के किसी प्रधान मंत्री ने इस बात की चिंता नहीं की, लेकिन इस देश का प्रधान मंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात की चिंता की कि वह मां, जो अपने बच्चों को भोजन देने के लिए चूल्हा जलाती है, लकड़ियाँ जलाती है, 172 सिगरेटों के धुएँ को एक बार में अपनी छाती में अपने बच्चों के कारण उतार देती है।

श्री उपसभापति: सरोज जी, आपका समय समाप्त हो रहा है, कृपया wind up करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उनकी maiden speech है। उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है।

श्री उपसभापति: सदन के बैठने की सीमा तय है, उसके अनुसार ही हम सब चलेंगे। सरोज जी, कृपया आप अपनी बात कहें।

सुश्री सरोज पाण्डेय: माननीय उपसभापति महोदय, मैं बहुत कम शब्दों में बोलती हूँ। यदि आप मुझे बार-बार टोकेंगे तो मेरा विषय छूट जाएगा।

श्री उपसभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

सुश्री सरोज पाण्डेय: मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि देश में जो करवट बदल रही है, उसे विपक्ष को सराहना चाहिए। आज जब चर्चा हुई तो उसमें बार-बार इतिहास की बात हुई। माननीय आनन्द शर्मा जी ने इतिहास की बात कही। हमने कब नकारा, हम मानते हैं कि भारत देश गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है, समृद्ध इतिहास का साक्षी रहा है। यह भी समृद्ध इतिहास ही रहा है कि हम 21 जून को Yoga Day मनाते हैं, जो कि हमारे प्रधान मंत्री जी की देन है। आज विश्व में लोग फिर से भारत को विश्व गुरु का दर्जा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो वह हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कारण ही कर रहे हैं। यह शुरुआत हुई है और अगर कुछ अच्छा हुआ है, तो उसे भी कहिए। चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे हमारे यहां शौचालय की बात हो। आज इस विषय पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि 'बेटी- बचाओं, बेटी पढ़ाओं' को बार-बार उपहास की नजर से देखा गया। उस समय को याद कीजिए, जिस समय इस भारत की राजधानी की सड़कों पर निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड के ऊपर पूरा युवा वर्ग सड़क के ऊपर था।

श्री उपसभापति: अब आप अपनी बात खत्म कीजिए। हमें next speaker को बुलाना है।

सुश्री सरोज पाण्डेय: उस निर्भया कांड के बाद एक हजार करोड़ रुपये की राशि कांग्रेस की सरकार ने दी, लेकिन उसका कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ बेहतर हुआ है, तो उसे जरूर कहिए और उसे सराहिए, क्योंकि यह अपेक्षा है, इसे आप कोसिए मत। यह देश का प्रधान मंत्री वह प्रधान मंत्री है, जिसने 365 दिन में एक दिन भी अपने लिए नहीं दिया है।

महोदय, मैं केवल अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगी। आज आनन्द शर्मा जी ने कहा कि "निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटि छवाय।" मैं चाहती हूँ कि ऐसे निन्दक पांच वर्ष के बाद भी हम लोगों के साथ जरूर रहें, मेरी यह शुभकामना है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हम उस परंपरा का पालन करते हैं, जिसमें

"कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ,
जो घर फूँके आपना, चले हमारे साथ।"

हम इस परंपरा के पालन करने वाले लोग हैं, धन्यवाद।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Hon. Deputy Chairman, Sir, at the outset, I extend my heartfelt thanks for giving me this opportunity. I have also expressed my gratitude to my leader, Shri Chandrababu Naidu, for allowing me

[Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

to participate in this discussion. The previous Andhra Pradesh Legislative Assembly had passed a Resolution with regard to the Special Status and also implementation of provisions of the Reorganization Act. Similarly, the present hon. Chief Minister, Shri Jaganmohan Reddy, was given a mandate and has also promised that he would get special status for the State of Andhra Pradesh. Accordingly, he won the elections. In the hon. President's Address, it was mentioned that 'within a short period of 21 days my Government has taken many important decisions.' It is pertinent to note that on the very first day, in the joint sitting of Parliament offer the Presidential Address itself, this Parliament witnessed the Ruling Party breaking our Telugu Desam Party and grabbing four Members of Rajya Sabha, effecting defection and also encouraging defectors. This Government is expected to admonish the defectors but, unfortunately, the Ruling Party took the defectors into their fold under the guise of merger with the Ruling Party. The true letter and spirit in enacting the Tenth Schedule of the Constitution has been infringed upon apart from the rulings of the hon. apex Court *i.e.* the Supreme Court of India. It shows how hollow the Government slogan '*sabka saath sabka vikas*' is. We have given ourselves cooperative federalism in which all have the right to exist and excel in their area. The Ruling Party at the Centre is determined to wipe out the Opposition parties and they want to exercise monopoly in the country. In democracy there are political opponents. It is not desirable to convert them into political enemies. This is not a good trend. This attitude is not healthy practice for democracy in cooperative federalism.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have just one more minute. Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, the Presidential Address, in paras 36, 39 and 40, deals with women empowerment. Now, in the Lok Sabha, the Ruling Government has got a huge majority and even in the Rajya Sabha there is a large majority as far as the question of women empowerment and passing the Women's Reservation Bill is concerned. We are also going to support it. The Government has showed keen interest in the Triple Talaq Bill and EBC Reservation Bill and wants them passed in urgency. Similar urgency should be shown in passing the Women's Reservation Bill too. My learned friend, Shri Vijayasai Reddy, had passed some remarks against our hon. leader, Shri Chandrababu Naidu, and said that the present Chief Minister was elected in the true spirit, free from corruption. in fact *...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, रवींद्र कुमार जी।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: *

श्री उपसभापति: धन्यवाद, अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक लंच के लिए स्थगित की जाती है।

*Expunged as ordered by the Chair.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two o the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am happy that the hon. Members have adhered to the decision taken earlier, just with a little amendment of foregoing the Zero Hour and the Question Hour today. But still, everyone, whose name has been given, could complete his/her speech. Now, the hon. Prime Minister would reply to the discussion that has taken place.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): माननीय सभापति जी, नए जनादेश के बाद, आज पहली बार राज्य सभा के सभी के सभी आदरणीय सदस्यों के बीच अपनी बात करने का मुझे अवसर मिला है। हमें देशवासियों ने पहले से अधिक जन समर्थन और अधिक विश्वास के साथ दोबारा देश की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन इस दूसरे टर्म के प्रारम्भ में ही हमारे इस सदन के आदरणीय सदस्य, मदन लाल जी हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

महोदय, राज्य सभा के हर सत्र में श्री अरुण जेटली जी की वाकपटुता को सुनने के लिए हर कोई सदस्य बड़ा उत्सुक रहता है, लेकिन इन दिनों वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर के वे यहां आएंगे और फिर से हमें वह सौभाग्य प्राप्त होगा। नेता के रूप में श्रीमान् थावरचन्द जी गहलोत, सदन में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, मैं उनका भी अभिनन्दन करता हूँ।

मान्यवर, दो दिन से यह चर्चा चल रही है। इस चर्चा में श्रीमान् गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान् दिग्विजय सिंह जी, हमारे मित्र श्री डी. राजा जी, श्री देरेक ओब्राइन जी, प्रो. राम गोपाल यादव जी, श्री माजीद मेमन जी, श्री रामदास अठावले जी, श्री टी.के. रंगराजन जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और श्री स्वपन दासगुप्ता जी सहित करीब 50 माननीय सदस्यों ने भाग लेकर इस चर्चा को समृद्ध किया है। सबने अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी बात बताई है। कहीं खट्टापन भी था, कहीं तीखापन भी था, कभी व्यंग्य भी था, कहीं पर आक्रोश भी था, कहीं पर रचनात्मक सुझाव भी थे और कहीं पर जनता जनार्दन का अभिवादन भी था। हर प्रकार के भाव यहां प्रकट हुए हैं। कुछ लोग वे भी थे, जिन्हें मैदान में जाने का मौका नहीं मिला, तो उनका जो गुस्सा वहां निकलना चाहिए था, वह गुस्सा उन्होंने शायद यहां निकाला, यह भी हमने देखा।

माननीय सभापति जी, यह चुनाव बहुत खास रहा है। कई दशकों के बाद दोबारा एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना, भारत के मतदाताओं के मन में राजनीतिक स्थिरता का महात्म्य क्या है, इसमें एक परिपक्व मतदाता की सुगंध महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इस चुनाव में हुआ है, बल्कि देश में लगातार जो पिछले कुछ चनाव हुए हैं, उनमें हमारे देश के मतदाताओं ने किसी भी दल को स्थान दिया हो, लेकिन उसमें बहुतेक स्थिरता को बल दिया है। यह अपने आप में लोकतंत्र की एक बहुत ही सुखद निशानी है।

महोदय, जब मैं संगठन का काम करता था, मैंने तब भी बहुत-से चुनाव अभियानों को देखा है, चुनाव संचालित किए हैं और प्रत्यक्ष जन प्रतिनिधि क्षेत्र में आने के बाद चुनाव लड़ने, लड़ने का भी अवसर मिला है, लेकिन बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं, जिसमें चुनाव स्वयं जनता जनार्दन लड़ती है। 2019 का

[श्री नरेन्द्र मोदी]

चुनाव एक प्रकार से दिलों से भी परे देश की जनता लड़ रही थी, देश की जनता ने इस पूरे चुनाव को अपने सिर पर उठा लिया था और जनता खुद सरकार के कामों की बात लोगों तक पहुंचाती थी। जिस तक लाभ नहीं पहुंचा, वह भी इस विश्वास से बात कर रहा था कि उसको मिला है, मुझे भी मिलने वाला है। इस चुनाव के नतीजों में यह जो विश्वास है, उसकी एक बहुत बड़ी और अहम विशेषता है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश के कोने-कोने में जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर मिला है, स्वयं जाकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है।

आदरणीय सभापति जी, भारत का एक परिपक्व लोकतंत्र हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, इस दृष्टि से चुनाव अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, उसकी ग्लोबल वेल्यू होती है। उस समय अपनी सोच की मर्यादाओं के कारण, विचारों में पनपी हुई विकृति के कारण यदि इतने बड़े जनादेश को हम यह कह दें कि आप तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन देश चुनाव हार गया, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा जनता जनार्दन का अपमान नहीं हो सकता। यह एक सामान्य वाक्य नहीं है, बल्कि देश के लोगों को गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर करने वाली एक बात है और जब यह बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया है, तो मैं यह जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया, क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया, क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुरम में हिंदुस्तान हार गया, क्या अमेठी में हिंदुस्तान हार गया? यह कौन-सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया। मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश। अहंकार की एक सीमा होती है, अहंकार होना ही नहीं चाहिए, सीमा का कहाँ सवाल आता है? यह जो किसी भी प्रकार का अहंकार है, उस संदर्भ में मैं जरा जानना चाहता हूँ कि 55-60 सालों तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, तो क्या हम आसानी से कह देंगे कि देश हार गया? मैं समझता हूँ कि हमने इस प्रकार की भाषा बोलकर मतदाताओं के विवेक को ठेस पहुंचाई है। हमने देश के मतदाताओं को कठघरे में खड़ा कर दिया है। हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूँ और लोकतंत्र में वह स्वीकार्य भी है। इतना ही नहीं, आलोचना सम्मानित है, लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है और तब जाकर हो सकता है कि मेरी वाणी में कोई आक्रोश भरे शब्द भी हों, लेकिन वे मेरे दल के लिए नहीं हैं, इस देश के परिपक्व लोकतंत्र के लिए हैं, भारत के संविधान निर्माताओं की समझदारी के लिए हैं।

हम इस चुनाव में देखें, 40-45 डिग्री टेम्परेचर और लोग दिन-दिन भर कतार में खड़े रहे। 80-90 साल के बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर वोट देने के लिए जा रहे थे। कई ऐसे चुनाव के काम की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी, दो दिन पहले जिनकी माँ की मृत्यु हुई है, लेकिन चूँकि चुनाव के अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी है, वे ई.वी.एम. मशीन का बॉक्स उठा कर किसी गाँव में ड्यूटी करने के लिए गए हैं। कितने लोगों की तपस्या के बाद यह चुनाव होता है और हम ऐसे ही देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। हम उससे आगे बढ़ गए हैं। पता नहीं हमारे मन को क्या हो गया है?

हमने देश के किसानों का भी अपमान कर दिया। हमने यहाँ तक कह दिया कि देश का किसान बिकाऊ है, दो-दो हजार रुपए की योजना के कारण किसानों के वोट खरीद लिए गए। मैं मानता हूँ कि इस देश के किसान को ऐसे अपमानित नहीं करना चाहिए। हमारे देश का किसान बिकाऊ नहीं है। हमारे देश का किसान तो वह है, जब वह खाली मजदूरी करके अन्न पैदा करता है, तो वह कभी यह नहीं सोचता है कि मैंने मेहनत करके जो अन्न पैदा किया है, वह किसके पेट में जाएगा, गरीब के पेट में जाएगा कि अमीर के पेट में जाएगा। उस किसान के लिए हम यह कह दें। मैं समझता हूँ कि हमारे देश

के 15 करोड़ किसान परिवारों को आपने इस प्रकार की भाषा को प्रयोग करके अपमानित किया है कि दो-दो हजार रुपए की स्कीम के कारण वे बिक गए।

मैं हैरान हूँ कि मीडिया को भी गालियाँ दी गई कि मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं। क्या मीडिया बिकाऊ है? क्या कोई मीडिया खरीद लेता है? क्या तमिलनाडु में भी यही लागू होगा, क्या केरल में भी यही लागू होगा? हम उन बातों को करें, जिन बातों को करें, जिन बातों में कोई, क्योंकि यह सदन है और इस सदन में बोली गई बातों का अपना एक महत्व होता है। हम कुछ भी कहते रहते हैं।

ठीक है, अखबारों में हेडलाइन मिल जाएगी, लेकिन भारत का लोकतंत्र, जिसकी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है, हमें गर्व होना चाहिए। भारत की चुनाव प्रक्रिया विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर होती है और इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग मुझे मिले थे, तब मैंने उनसे कहा था। जो निवृत्तमान होते थे, जब वे मिलने आए थे, तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा कि हमारी ये ऐसी बड़ी अमानतें हैं, चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्थाएँ, जो विश्व के सामने जानी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, कितनी विशालता और व्यापकता। 10 लाख पोलिंग स्टेशंस, 40 लाख से ज्यादा ई.वी.एम. मशीनें, 650 राजनीतिक दल, 8 हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स, कितना बड़ा रूप, व्यापकता। हम इस बात को दुनिया के सामने रखें। कितना गर्व हो सकता है, दुनिया को भी आश्चर्य होगा। मैं समझता हूँ कि हम अपने निजी राजनीतिक कारणों से इस प्रकार से कहें, तो ठीक नहीं है।

इस चुनाव में एक बहुत बड़ी बात नजर आई, हमारी बहन-बेटियों ने जो कमाल किए हैं। हमारे देश में चुनाव पहले से होते रहे हैं, महिलाओं को मतदान का अधिकार पहले से मिला हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि हमेशा पुरुष और स्त्री के मतदान में करीब-करीब 9-10 प्रतिशत का मार्जिन रहता था। पुरुष का मतदान करीब-करीब 9 प्रतिशत ज्यादा रहता था। पहली बार यह करीब-करीब जीरो हो गया है। यह अपने आपमें भारत के लोकतंत्र की एक उज्ज्वल निशानी है। हम उसमें इन चीजों को देखें। इस बार खुशी है कि करीब 78 सांसद हमारी महिलाएँ, हमारी बहनें चुन कर आई हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. के लोग जीत करके आए। इतना ही नहीं है, इस चुनाव की एक विशेषता भी है। नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, बी.जे.पी. और एन.डी.ए. सभी कोनों में बहुमत के साथ जीतकर आए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक कोने में हमें जीत हासिल हुई है, दूर-दराज में सब तरफ हमें स्वीकृत मिली है। जो लोग हार गए हैं, जिनके सपने चूर-चूर हो चुके हैं, जिनके अहंकार को चोट पहुंची है, वे देश के मतदाताओं का अभिवादन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं सिर झुकाकर, भारत के कोटि-कोटि मतदाताओं का अभिवादन करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, साथ ही भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभाने वाली व्यवस्था और उसके साथ जुड़े हुए छोटे-मोटे, सभी ऑफिसर, सिक्योरिटी के लोग, इलेक्शन कमिशन, ये सब भी अभिनन्दन के अधिकारी हैं, इसलिए मैं उनका भी अभिनन्दन करना चाहता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, यहां पर ई.वी.एम. की काफी चर्चा हो रही है और मुझे माफ करना, अब यह एक नई बीमारी शुरू हुई है। ई.वी.एम. को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, बहाने लगाए जाते हैं।

सभापति जी, सदन में कभी हम भी केवल दो ही रह गए थे और उस समय हमको बार-बार कहा जाता था, "दो या तीन बस," ऐसा कह-कह कर हमारा मजाक उड़ाया जाता था। हमने इतने बुरे दिन देखे थे। लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, अपने विचारों पर भरोसा था, देश की जनता पर भरोसा

[श्री नरेन्द्र मोदी]

था और हमारी तैयारी परिश्रम और त्याग की पराकाष्ठा करने की थी। उस निराशाजनक वातावरण में विश्वास पैदा कर-करके हमने पार्टी को फिर से खड़ा किया। हमसे भी ज्यादा हमारे आगे की पीढ़ी ने काम किया और करके दिखाया। यही तो नेतृत्व की कसौटी होता है। उस समय हमने ऐसा रोना-धोना नहीं किया था कि पोलिंग बूथ कैप्चर हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, इसीलिए हम हार गए। हार गए तो हार गए, फिर से काम करेंगे, "पुनश्चर्योहम्"। हम निकल पड़े और फिर परिणाम लेकर आते चले गए। जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता है, सामर्थ्य का अभाव होता है, तब बहाने खोजे जाते हैं। इसलिए जिनकी आत्मचिंतन करने की तैयारी नहीं है, दोष स्वीकारने की तैयारी नहीं है, ठीकरा ई.वी.एम. पर फोड़ा जाए, ताकि कम से कम अपने साथियों के सामने तो हम बता सकें कि देखो-देखो, हमने तो बहुत अच्छा काम किया, हम नहीं हारे, यह तो ई.वी.एम. के कारण हार हुई। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से हम राजनीतिक कैडर का भला नहीं करेंगे। राजनीतिक कैडर को निराश करने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत है तो आगे आइए पूरे कैडर को तैयार कीजिए। फिर एक चुनाव से सब थोड़े ही समाप्त हो गया है, आगे और भी चुनाव आने वाले हैं। इस प्रकार की निराशा का क्या मतलब है?

माननीय सभापति जी, हमने चुनाव की सब प्रकार की प्रक्रिया देखी है और चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार होता चला गया है। प्रारम्भ में, 1952 के बाद, शुरु के कालखंड के चुनाव महीनों-महीनों तक चलते थे। पुराने लोग बॉक्स ले-लेकर गांव-गांव जाते थे। हम उस समय बहुत बच्चे थे, लेकिन हमने यह सुना है। चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार करते-करते-करते-करते आज हम यहां तक पहुंचे हैं। सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। आप पहले का जमाना देख लीजिए, तब क्या था? चुनाव के बाद अखबारों की हेडलाइंस क्या होती थीं? अखबारों की हेडलाइंस होती थीं- इतनी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, इतने बूथ कैप्चर हुए, यही तीन मेन न्यूज़ रहती थीं। आज ई.वी.एम. के कारण खबर एक ही होती है कि पहले की तुलना में मतदान इतने प्रतिशत बढ़ा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि पहले चुनाव कैसे होता था। बूथ कैप्चर करना, लूट करना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में यही सब होता था। जो दबंग लोग थे, उन्हीं के हाथ में सब था। जब से सही अर्थ में लोकतंत्र की प्रक्रिया आई है, तभी से ऐसे लोगों के हारने का क्रम शुरू हुआ है। उनको अपनी जगह पर वापस आना पड़ा। लोकतंत्र को इस प्रकार से दबोचने की प्रक्रिया में देश मदद नहीं कर सकता है।

माननीय सभापति जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं देश के सामने यह बात भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले 1977 में ई.वी.एम. की चर्चा प्रारम्भ हुई थी। तब तो हम राजनीति में कहीं नजर नहीं आते थे। हम तो बहुत दूर बैठे थे। 1977 में इसकी चर्चा शुरू हुई। 1982 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। 1988 में हम नहीं थे, इसी सदन में बैठे हुए उस समय के महानुभावों ने कानून इस व्यवस्था को स्वीकृति दी, कानून बनाया। इतना ही नहीं, 1992 में कांग्रेस के ही नेतृत्व में इस EVM को लेकर सारे रूल्स बनाये गये। यानी इस प्रकार से जो यह कहते हैं कि यह हमने किया, हमने किया, तो वह भी तो आपने ही ने किया। अब आप हार गये, इसलिए रो रहे हो। यह क्या तरीका है? मैं समझता हूँ कि EVM से इस देश में अब तक विधान सभाओं के जो चुनाव हुए हैं, State assemblies के, EVM मशीन से 113 चुनाव हुए हैं और यहाँ उपस्थित करीब-करीब सभी दलों को उसी EVM से चुनाव जीत करके सत्ता में आने का या सत्ता में आने का या सत्ता में भागीदार होने का अवसर मिला। असेम्बलीज के 113 चुनाव हुए हैं, लोक सभा के 4 general elections हुए हैं। उसमें भी दल बदले हैं। अलग-अलग लोग जीत कर आये हैं और आज पराजय के लिए हम इस प्रकार की बातें करते हैं? 2001 के बाद विभिन्न हाई कोर्ट्स

और सुप्रीम कोर्ट में भी EVM को लेकर मसले उठाये गये हैं। सारे परीक्षणों के बाद EVM पर सारी चीजों में देश की सभी न्यायपालिकाओं ने अपना positive verdict दे दिया है। 2017 में जब इतना बड़ा हो-हल्ला हुआ, क्योंकि पराजित लोगों का ecosystem अभी काम रहा है, तो चारों तरफ हो-हल्ला खड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन ने खुद चैलेंज रूप में कहा कि मैं एक EVM रखता हूँ, आप आइए और यह यदि गलत है, तो सिद्ध करके हमें दिखाइए। जो लोग आज EVM के गीत गा रहे हैं, रोना रो रहे हैं, एक भी दल वहाँ नहीं गया है, दो पार्टीज गयी हैं-NCP and CPI, लेकिन उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जरा हमें समझाइए कि how EVM operates, यानी सिर्फ समझने का प्रयास किया। लेकिन कम से कम NCP और CPI के लोग गये, बाकी लोग तो इलेक्शन कमीशन के निमंत्रण के बाद भी नहीं गये, जिस पर वे शक कर रहे थे। यह अप्रचार और एक निश्चित प्रकार के vested interest group ने इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, तो उस हवा में हमारे लोग भी आ गये थे। हम भी मानने लग गये थे कि EVM में कोई गड़बड़ है। हमारी पार्टी में से भी आवाज उठी थी, लेकिन हमने ईमानदारी से उसके सत्य तक पहुँचने का प्रयास भी किया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया। हमने स्वयं भी EVM के विषय में शक किया था। जब हम सारी चीजें समझे, तब हमारी पार्टी में उस विचार को मानने वालों को समझाया गया कि यह आपका गलत रास्ता है और हम सही रास्ते पर चलें। यह टेक्नोलॉजी है, समझनी चाहिए, इसे समझ कर आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन बातों को लेकर... आदरणीय सभापति जी, फिर WPAT की बात आयेगी। लोग बार-बार सुप्रीम कोर्ट में गये। पूरे चुनाव के वातावरण को derail करने के लिए इसको एक साधन बनाया गया। हर शाम इलेक्शन कमीशन में जाओ, हो-हल्ला करो और मीडिया में जगह ले लो। सामान्य मतदाता के मन में विश्वास पैदा करने के बाद अविश्वास पैदा करने का वातावरण बनाया गया। WPAT का क्या हुआ? जितनी आशंकाओं को लेकर गये, हम सब साक्षी हैं कि WPAT ने फिर एक बार EVM की ताकत को बढ़ा दिया। परिणाम सामने है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए हैरान हूँ, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि आपने इतने सालों तक शासन किया है, देश की राजनीति की एक मुख्य धारा लम्बे अरसे तक आपके पास रही है। अनुभव से आज कहना पड़ेगा कि आपको कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप विजय भी नहीं पचा पाते हैं। आजादी के इतने साल आपको इतने विजय प्राप्त हुए, आप विजय नहीं पचा पाये। 2014 से लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप पराजय को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि यह कोई health growth हो रही है, किसी राज्य में। भारत में, लोकतंत्र में हर दल का अपना एक स्थान है, महत्व है। उसका आदरपूर्वक सम्मान होना चाहिए और उसके प्रति हमारी शुभकामनाएँ होनी चाहिए, हर दल के प्रति, तभी तो लोकतंत्र चलता है। लेकिन न हम पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न ही हम विजय को पचाने की सामर्थ्य रखते हैं। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? अभी तो विजय हुई थी लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसी-ऐसी खबरें आने लगीं जिनसे हम हैरान रह जाते हैं।

चुनाव reforms की भी काफी बातें हुई। 1952 से लेकर आज तक लगातार चुनाव reforms होते ही रहे हैं और रहने चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस पर चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए और खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बँधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन outright ऐसा कह देना कि हम 'एक देश, एक चुनाव' के पक्ष में नहीं हैं अरे, चर्चा तो करिए भाई। आपके कुछ विचार होंगे, लेकिन हम चीजों का स्थगितिकरण क्यों करें। यहां जितने बड़े-बड़े नेता हैं, मैं उनसे जब भी मिला हूँ, सबने कहा कि हमें इस भय से मुक्त होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव आएँ, महीना, दो महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब अपने काम में लग जाएँ- यह बात सबने मानी। सार्वजनिक रूप से stand लेने में दिक्कत होती होगी। क्या यह समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम-से-कम मतदाता सूची तो एक हो।

[श्री नरेन्द्र मोदी]

पहले 18 और 21 वर्ष आयु होने के कारण दो अलग-अलग मतदाता सूचियां होती थीं, अब 18 वर्ष की आयु में सभी मतदान कर सकते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि यहां जितने चुनाव हुए, उतनी ही मतदाता सूचियां बनीं। इस पर देश का कितना पैसा खर्च हो रहा है। कितनी manpower इन मतदाता सूचियों को तैयार करने में लग रही हैं? राज्य और केन्द्र मिलकर कानून बनाएं और तय कर लें कि एक ही बार मतदान हो जाए। मैं यहां बता दूँ कि पंचायतों के चुनावों में एक ही मतदाता सूची होती है। उसमें एक ही मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक-एक वोट की कीमत होती और 30-40 वोटों से हार-जीत होती है। यदि वहां की मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची बन जाए तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से pollong stations की समस्या है। मतदाताओं को हर बार याद करना पड़ता है। उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारा polling station इस स्कूल का अमुक कमरा है। ऐसी व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? इसलिए elections के reforms अनिवार्य हैं, होते रहने चाहिए। हम यह मानकर चलें। हमारे देश में पहले एक देश, एक चुनाव होता था यह बाद में Derail हुआ है और उसका सबसे अधिक benefit आप लोगों को मिला है। आज कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है। कहते हैं कि मतदाता कैसे एक निर्णय करेगा? अभी ओडिशा हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। ओडिशा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। ओडिशा कोई विकसित या उन्नत राज्य नहीं है। भारत में, जिसे विकास के रास्ते पर लाने के लिए मेहनत करनी पड़े ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोक सभा के लिए एक मतदान किया और विधान सभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हुआ कि हमारे मतदाताओं को एक ही समय वोटिंग के लिए विवेक बुद्धि का पूरा ज्ञान है। वहां कुछ सीटें ऐसी हैं, नीचे की सारी Assembly seats बी.जे.डी. को गईं और लोक सभा की बी.जे.पी. को आई। ऐसी maturity हमारे देश में है लेकिन हम उनका अनादर कर रहे हैं। कैसे भ्रम फैलाया गया कि अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो Regional parties खत्म हो जाएंगी। जहां-जहां लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ हुए हैं, उन सब जगहों पर प्रादेशिक दल जीते हैं। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, वहां भी प्रादेशिक दल जीता है। आडिशा का चुनाव हुआ, वहां भी प्रादेशिक दल जीतकर आया। अब देश के मतदाताओं की समझ में आ गया है। हम उनकी समझ पर शक न करें। हम उनकी समझ पर शक न करें। चर्चा के बाद नहीं होगा तो नहीं होगा नहीं होगा - लेकिन हम पहले से कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं घुसने देंगे - यह तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए। हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए। हर प्रयास में हमें अपनी भूमिका बतानी चाहिए। यदि हम पहले से ही दरवाजे बंद कर लें, इससे कभी बदलाव नहीं आता है। भारत के मतदाताओं के नीर-क्षीर विवेक पर हम कभी भी शक न करें, ऐसा मेरा मत है।

कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि किस आधार पर हम EVM का विरोध करते हैं? ऐसा संभव नहीं है। विरोधी दल का मतलब, मुझे लगता कि letter and spirit हमने पकड़ लिया है। विरोधी दल का मतलब हर जगह विरोध करना है। Opposition का मतलब हर जगह विरोध करना है। मुझे याद है इसी सदन में मैं बैठा था और यहां विद्वान लोग ऐसा भाषण कर रहे थे, जो अपने आपको ऐसा मानते थे कि भगवान ने अगर किसी को बुद्धि बांटी तो वे ही सबसे आगे कतार में खड़े थे। ऐसे-ऐसे लोग यहां बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में phone कैसे पकड़ेगा? ऐसे-ऐसे भाषण यहां हुए थे। मैं हैरान हूँ जी। उसका भी हमने विरोध किया। हमने 'आधार' का विरोध किया! आप जब थे, तब 'आधार' महान और जब हम 'आधार' संकट हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, 'आधार' को रोकने के लिए कोशिश

करें। अगर हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, नया इंडिया बनाना चाहते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी से कितना दूर भागेंगे? सेफगार्ड के लिए सचेत प्रयास करना टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, समय-समय पर करती है, लेकिन अगर हम चीजों से भागते रहेंगे.... जी.एस.टी, उसका विरोध, ई.वी.एम. उसका विरोध, डिजिटल, उसका विरोध, भीम ऐप, उसका विरोध, हर चीज में यह नकारात्मकता... और इस पराजय पर बहुत कारणों की चर्चा होती है। मुझे क्षमा करना, इस सदन में जिन दलों का व्यवहार पिछले पाँच सालों, मैं राज्य सभा की बात कर रहा हूँ, रुकावट डालने का रहा है, अड़ंगे डालने का रहा है, जनसामान्य के निर्णय से बैठी हुई सरकार को काम करने देने का रहा है, उन सबको देशवासियों ने सजा दी है यानी राज्य सभा में जो गतिविधि होती है, आज देश का मतदाता इतना समझदार है कि वह इन चीजों को नोटिस कर रहा है और नतीजा देते समय सिर्फ लोक सभा में किसने क्या किया, उस पर नहीं, राज्य सभा में किसने क्या किया, उसके आधार पर भी वोट कर रहा है। यह इस चुनाव में देखा गया है और उससे आने वाले पाँच साल में सबक सीखने के लिए अवसर है। यह सबके लिए है कि हम राज्य सभा में चुनी हुई सरकार की बातों को कहां-कहां रोकते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा।

महोदय, मैं हैरान हूँ कि अब न्यू इंडिया का विरोध होने लग गया। क्या कारण है? मैं यह तो समझ सकता हूँ कि न्यू इंडिया में तुम्हारी जो दस बातें हैं, उनमें से पाँच तो ठीक हैं, पाँच बेकार हैं। मैं यह तो समझ सकता हूँ कि कोई यह कहे कि न्यू इंडिया का कंसेप्ट, देश को तो आगे बढ़ना है, लेकिन अमेरिका ने यह नहीं किया था, ढिमकाना ने नहीं किया था, यह हमको भी नहीं करना। कौन क्या करता है, इसको छोड़ो, हम पाँच हजार पुराना देश है, हम दुनिया की एक महान परंपरा लेकर आए हुए लोग हैं, औरों ने क्या किया, नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए, हमें आगे बढ़ना है और दुनिया के अंदर हमें अपना नाम ऊँचा करना है। यह काम हमें करना है। सवा सौ करोड़ का देश है, क्यों न सपना देखें? हम यह कह सकते हैं कि ये दस ठीक नहीं हैं, हमारी ये पाँच ठीक हैं। उसके लिए प्रयास करें, लेकिन देश के लोगों को निराशा की ओर धकेलने का पाप न करें। हम उसमें मॉडिफाई करें, हम उसमें सुधार करें। हम उसमें यह कहें कि ये चार ठीक है, ये चार ठीक नहीं हैं। यह सब लोकतंत्र की परंपरा में आवकाय है, लेकिन आउटराइट इस प्रकार से हम कहेंगे, हमें तो पुराना, ओल्ड इंडिया चाहिए। क्यों भाई? इसलिए वह ओल्ड इंडिया है, जहां कैबिनेट के निर्णय को पत्रकार परिषद् में फाड़ दिया गया। क्या हमें वह ओल्ड इंडिया चाहिए? क्या हमें वह ओल्ड इंडिया चाहिए कि सैर-सपाटे के लिए पूरी नौसेना काम लगा दी जाए? क्या हमें वह ओल्ड इंडिया चाहिए कि जल, थल, नभ, घोटाले ही घोटाले की खबरों से देश परेशान रहे? क्या हमें ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए? क्या हमें ऐसे ओल्ड इंडिया की जरूरत है, जहां रेलवे रिजर्वेशन के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़े, जब तक बिचौलिया न आए, तब तक रेल रिजर्वेशन न बने? क्या हमें ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए? क्या हमें ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए कि गैस कनेक्शन के लिए एम.पीज के घरों पर कतार लगा कर खड़ा रहना पड़े, एम.पी. 25 कूपन्स को लेकर मारा-मारा घूमता रहे? क्या ऐसा ओल्ड इंडिया हमको चाहिए? हमें कैसा ओल्ड इंडिया हमको चाहिए? क्या हमें वह ओल्ड इंडिया चाहिए, जिसमें इंस्पेक्टर राज हो? क्या हमें वह ओल्ड इंडिया जिसके अंदर इंटरव्यू चलते रहे, पिअन का भी इंटरव्यू, ड्राइवर का भी इंटरव्यू, चौकीदार का भी इंटरव्यू और फिर इंटरव्यू के नाम पर करप्शन? क्या वे ओल्ड इंडिया चाहिए? मैं हैरान हूँ जी! हम, देश की जनता हिन्दुस्तान को पुराने दौर में ले जाने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। देश की जनता अपने सपनों के अनुरूप नए भारत की प्रतीक्षा कर रही है और हम सबने, सामूहिक प्रयत्न से, सामान्य मानवी के उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वह प्रयास हम कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। हमने

[श्री नरेन्द्र मोदी]

कोशिश की है। पहले या तो दिया जलाओ, रिबन काटो या नीति घोषित करो, उसी को सरकार का काम माना जाता था Last-mile delivery, जैसे हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, यही रहा। उस पूरे कल्चर को हमने बदला है। हमने नीति भी बदली, हमने रणनीति भी बदली, हमने वृत्ति और प्रवृत्ति को भी बदला है और उसका परिणाम है। अब यहाँ कहा जाता है कि हमने किया, हमने किया। गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे। क्या यू.पी.ए. में नहीं बनते थे? बनते थे, हमने भी बनाए। आप कहेंगे कि क्या नया किया? नया यह किया कि आप पाँच साल 25 लाख बनाते थे, हम पाँच साल में डेढ़ करोड़ बना रहे हैं। यह बदलाव होता है। मैं समझता हूँ कि हमने नए सिरे से वातावरण बनाने की कोशिश की है। सरकारीकरण से बाहर निकलकर, हमने सरलीकरण पर बल दिया है। हमने देखा है, आजादी के इतने सालों के बाद आजाद भारत का जो सपना था, उसमें रुकावटें क्या बनीं? अभाव, प्रभाव और दबाव। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएँ की कि या तो कुछ लोगों को अभाव में जीना पड़ा, कुछ लोग प्रभाव के कारण हड़प करते गए और कुछ लोग दबाव के कारण, कुछ रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गए। देश के स्वस्थ विकास के लिए अभाव की चिंता सरकार जरूर करे, लेकिन प्रभाव और दबाव के बीच देश के सामान्य मानव को कुचलने न दिया जाए, इसलिए हमने उस रणनीति को अपनाया है और उस रणनीति को आगे ले जाने का हमारा प्रयास रहा है। हम सामान्य मानव के सशक्तिकरण की ओर काम कर रहे हैं। पाँच साल पहले करोड़ों घरों के पास बिजली नहीं थी, गैस के चूल्हे नहीं थे, शौचालय नहीं थे। ये छोटी-छोटी चीजें हैं। मैं हैरान हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि यह कोई भारत सरकार का काम, है, उसे तो बहुत बड़े-बड़े काम करने चाहिए, big reform करना चाहिए, यही बातें होती थीं। देश छोटी-छोटी चीजों से बदलता है। हमें छोटी चीजों के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, हम बड़े नहीं बन गए हैं। छोटों के बीच से आए हैं, उन छोटों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान बड़े परिणाम ला सकते हैं, इसलिए हमने काम करना शुरू किया है। यह बात निश्चित है कि हमने पाँच साल सामान्य मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में सरकारी तंत्र को उस दिशा में डालने का भरपूर प्रयास किया है। बहुत मात्रा में परिणाम भी नजर आए हैं, लेकिन अब देश का मिजाज, ये पाँच साल आवश्यकताओं से ज्यादा aspirations की पूर्ति का है। मैं मानता हूँ कि हम भाग्यवान हैं, चाहे हम राजनीतिक जीवन में हों, सार्वजनिक जीवन में हों, व्यापार उद्योग में हों, शिक्षा में हों या कहीं पर भी हों, हम एक भाग्यवान कालखंड में हैं, जब हिन्दुस्तान का सामान्य मानव aspirations लेकर जीता है। जब जनसामान्य के अंदर aspirations होते हैं, तब काम की गति बहुत बढ़ती है, विकास बहुत तेजी से होता है। ये सौभाग्य के पल आए हैं, इसलिए हम सब का दायित्व बनता है कि हम कोई भी निर्णय करें, तो यह देखें कि क्या हम जनसामान्य के aspiration अनुरूप हम अपने आपको accelerate कर सकते हैं? यह समय की मांग है और मैं मानता हूँ कि उस दिशा में जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

मैं हैरान हूँ कि नकारात्मकता, विरोधवाद इस हद तक गया कि शौचालय की बात, उसका मजाक, उड़ाओ; स्वच्छता की बात, उसका मजाक उड़ाओ; जन-धन अकाउंट, उसका मजाक उड़ाओ; योगा का कार्यक्रम, उसका मजाक उड़ाओ; 'Make in India', उसकी मजाक उड़ाओ; यानी एक प्रकार से हर चीज में नकारात्मकता को देश ने भली-भाँति देखा है। राज्य सभा में कौन बोलेगा, इसके लिए अभी भी हाथ-पैर जोड़ने पड़ते हैं कि आज मुझे विदेश जाना है, इसलिए मुझे समय दीजिए। उसमें भी हाथ-पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। कितना अहंकार है हमारा? ...(व्यवधान)... कितना अहंकार है... (व्यवधान)... जहाँ हुआ है, उनको मालूम है, सबका दोष नहीं है। ...(व्यवधान)... यह स्थिति है। हम लोकतंत्र में एक-दूसरे का सम्मान करें। ...(व्यवधान)... हम जानते हैं कि यहाँ हमारा बहुमत नहीं है। ...(व्यवधान)... हम जानते हैं, हमारा बहुमत नहीं है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : please. ...(Interruptions)...

श्री नरेन्द्र मोदी: हम जानते हैं, बहुमत हमारा नहीं है, इसलिए माननीय सभापति जी जनता जनार्दन ने जो निर्णय किया है, उसका गला घोटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमने पाँच साल लगातार काम किया है। ...(व्यवधान)... देश का नुकसान हुआ है, हमें दर्द हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, मुझे कुछ कहना है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अभी नहीं, प्लीज़। ...(व्यवधान)... आनन्द शर्मा जी, बाद में। प्लीज बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... आप सीनियर हैं, बैठ जाइए। ऐसे नहीं, ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री बोल रहे हैं, आप, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोदी: देश का नुकसान हुआ है, हमें दर्द हुआ है। ...(व्यवधान)... हमने सहा है ...(व्यवधान)... सभापति जी, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता ने अपने aspirations पूरे करने के लिए लोक सभा में हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। राज्य सभा का federal structure भी कहता है कि उन aspirations के अनुकूल हमें सहायता मिलती चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप इस बात को लेकर हमारे साथ न्याय करेंगे, यही मेरी अपेक्षा रहेगी।

हम New India का सपना लेकर चल रहे हैं। यहाँ 5 trillion dollar economy की बात हुई। यहाँ बताया गया कि 2014 तक वह 2 ट्रिलियन था, अभी बताया गया कि यह 2.8 ट्रिलियन हो गया है। मतलब, आजादी के इतने सालों में यह 2 ट्रिलियन हुआ है, लेकिन पाँच साल के अंदर यह करीब-करीब आधा बढ़ गया। अगर पाँच साल में यह आधा बढ़ सकता है तो आने पाँच साल में और बढ़ सकता है। दूसरा, हमारे मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि 5 trillion का target क्यों रखते हो? हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि इस ट्रिलियन के लिए चलो, हम मिलकर दौड़ते हैं। जहाँ हमारी राज्य सरकारें हैं, वहाँ हम 10 काम में जरा जोर लगाएँगे, वहाँ हम इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहाँ आपकी राज्य सरकारें हैं, वहाँ आप कीजिए। हम सब मिलकर करें। हिन्दूस्तान 5 ट्रिलियन के क्लब में जाए, यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा, जिसको इसके लिए दुःख होगा, हरेक को आनन्द होगा। इसलिए आप सकारात्मक विचारों को लाइए, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं हम सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं, जो यह मानते हैं कि जब बुद्धि बाँटने का समय आया था, तो मैं ही अकेला था। जी नहीं, हम तो आपसे भी सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश चलाना है, देश का भला करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इन बातों को लेकर एक नए भारत के लिए चलें।

यहाँ पर और भी कुछ विषय आए, जिनका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। सदन में कहा गया कि झारखंड mob lynching और mob violence का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुःख यहाँ सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना, क्या यह शोभा देता है? फिर तो हमें वहाँ भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे! जो बुरा हुआ है, जो बुरा करते हैं, उनको isolate करें और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध जो कुछ भी कर सकते हैं, वह हम करें, किन्तु सबको कठघरे में खड़े कर हम राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियाँ नहीं सुधार पाएँगे। पूरे झारखंड को बदनाम करने का हममें से किसी को हक नहीं है। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहाँ भी सज्जनों की भरमार है। अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से ही निकल सकता है, क्योंकि संविधान, कानून और व्यवस्थाएँ पूरी तरह से इसके लिए सक्षम हैं और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। उसके लिए हम जितना कर सकते हैं, करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंसा

[श्री नरेन्द्र मोदी]

में दुनिया को जिसने सबसे बड़ा नुकसान किया है, वह good terrorism और bad terrorism ने किया है, मेरा terrorism और तेरा terrorism ने किया है। वैसे भी हिंसा की घटनाओं के लिए-- चाहे वह घटना झारखंड में होती हो, चाहे वह घटना पश्चिमी बंगाल में होती हो, चाहे वह घटना केरल में होती हो, हमारा एक ही मानदंड होना चाहिए हम हिंसा को रोक पाएँगे। तभी हिंसा करने वालों को सबक मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर ये देश एक है, सब राजनीतिक दल हैं, सबकी सोच है, अब इस देश में ऐसी चीज नहीं चलेगी। मैं मानता हूँ कि हम उस जिम्मेदारी को निभाएँ। राजनीतिक score के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, उनका हम उपयोग करें। मैं मानता हूँ कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी हमारा संवैधानिक दायित्व है। साथ-साथ, मानवता के प्रति हमारी संवेदनशील जिम्मेदारी भी है, उसको हम कभी नकार नहीं सकते हैं। हम उसी भावना को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं बताता हूँ कि 'सबका साथ, सबका विकास' हम इस मंत्र को लेकर चले थे, लेकिन 5 साल के अखण्ड एकनिष्ठ पुरुषार्थ के जनता-जनार्दन ने उसमें एक अमृत भर दिया, वह अमृत है 'सबका विश्वास'। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास', हमारे 5 साल के कार्यकलाप से देश की जनता ने यह अमृत जोड़ा है, लेकिन हमारे आजाद साहब को कुछ धुंधला नजर आ रहा है, जब तक राजनीतिक चश्मे से चीजें देखी जाएंगी, तक तक धुंधला ही नजर आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम राजनीतिक चश्मे उतार कर देखना शुरू करेंगे तो धुंधला नजर नहीं आएगा, उज्ज्वल भविष्य नजर आएगा और शायद ऐसी सोच रखने वालों के लिए बहुत मजेदार बात कहीं है। आजाद साहब को ऐसी चीजें जल्दी अच्छी लगती हैं।

"ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा"

सभापति महोदय, यहां पर हमें काफी उपदेश दिया गया। कभी-कभी अखबार में चीजें आ जाती हैं, लेकिन जब मेरे सांसदों की मंगलवार को मीटिंग होती है तो मैं सार्वजनिक रूप से बोलचाल में वे जो कुछ भी करते हैं, उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता हूँ, सुधारने का प्रयास करता हूँ। यहां पर हमें समझाया गया, फलाने ने ऐसा किया था और ढिमकाने ऐसा किया था, अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया गया था और एक इंडिपेंडेंट को कैंडिडेट बनाकर जिता दिया गया था। अब यह तो कुछ पार्टियों का इतिहास है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भी हरा देते हैं। यह तो अपनी-अपनी राजनीति है और वे बाबा साहेब अम्बेडकर को हराने के लिए जी- जान से जुट जाते हैं। ...(व्यवधान)... इसीलिए ऐसे उदाहरणों के माध्यम से उपदेश देने से पहले ज़रा अपने गिरेबाने में देखें। जब दिल्ली की सड़कों पर गले में टायर लटका कर सिखों को ज़िन्दा जला दिया जाता था और जिन लोगों के नाम मुखर हो कर आए, हर प्रकार से चर्चा हुई ...(व्यवधान)... वे लोग आज भी उस पार्टी में हैं, सम्मानित पदों पर हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अन्य बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी।

श्री नरेन्द्र मोदी: वे लोग संवैधानिक पदों पर हैं। अगर यही आपकी आदर्श और नीतियां थीं तो उपदेश देने से पहले अपने घरों में झांकने कि ज़रूरत है, तब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। राजनीतिक जय-पराजय का संकट हो तो 10 दिन के पार्टी से निकाल देते हैं फिर गले लगा लेते हैं, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, बड़े-बड़े लोगो के नाम हैं। मैं मानता हूँ कि हम कोई ऐसे

बड़े तीसमारखान नहीं हैं कि हमें सार्वजनिक जीवन में कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाता है। मैं, मेरी पार्टी के सदस्यों से कहता हूँ कि हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने का। हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, सार्वजनिक जीवन के नियमों का पालन करना पड़ेगा, चाहे वे किसी भी दल के हों, मैं मेरे दल के लोगों को विशेष रूप से, हक से कहना चाह रहा हूँ कि यह शोभा नहीं देता है, यह मेरा मत है। मैंने सार्वजनिक रूप से इसको कहा है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कभी न कभी इसमें सुधार भी होगा और हम कोशिश करते भी रहते हैं। यहां पर एक ही चिंता का विषय है, वह विषय क्रेडिट का है, यह बड़ा भारी है। हमने तो क्रेडिट आप ही को दिया है, तभी तो हम आए हैं। आप ही का तो पराक्रम था, तभी तो हम आए हैं, वरना हमें कौन जानता था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यहां एन.आर.सी. की चर्चा हुई है। उसका क्रेडिट आप नहीं लेंगे? आप क्यों भाग रहे हो? आप उसका भी तो क्रेडिट लीजिए। राजीव गांधी सरकार ने असम आर्केड में एन.आर.सी. स्वीकार किया था। एन.आर.सी. उस समय का है, बाद में सुप्रीम कोर्ट को *intervene* करना पड़ा और हमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम लागू कर रहें। क्रेडिट लीजिए न ! वोट भी लेना है और क्रेडिट भी लेना है, फिर आधा बोलना और आधा छोड़ना, ऐसा नहीं चलता है। कुछ तो ज़रा खुलकर बताइए और हम बताते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: रिपुन बोरा जी, आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोदी: देश हित में उस समय जो एन.आर.सी. का निर्णय हुआ था, उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसे पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए यह वोट बैंक की राजनीतिक नहीं है। देश की एकता, अखंडता और उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम करेंगे।

यहां पर सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा। यह बात हम सब मानते हैं, हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे। हम अभी भी मानते हैं कि अगर सरदार साहब देश के पहले प्रधान मंत्री होते, तो जम्मू-कश्मीर की समस्या न होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब, देश के पहले प्रधान मंत्री होते, तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जटिलता है, वह नहीं होती, आज उसका चित्र अलग होता। यह हमारी सोच है, वह गलत भी हो सकती है, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया है। इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है। सरदार साहब थे, कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृह मंत्री बनाया था। सरदार साहब थे, जो जीवन भर कांग्रेस के लिए लिए, कांग्रेस के लिए जूझें और कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म किया। वे शुद्ध कांग्रेसी थे। लेकिन मैं हैरान हूँ...जब गुजरात में चुनाव होता है, तो सरदार साहब की फोटो नज़र आती है, लेकिन वे देश में कहीं नजर नहीं आते हैं। वे आपकी ही पार्टी के थे! आपको क्या तकलीफ है? लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें गृह मंत्री बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू, "स्टेच्यू ऑफ यूनिटी" बना है। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करूंगा कि वे कम से कम एक बार जाकर श्रद्धा-सुमन देकर आएँ। सरदार साहब कांग्रेस के थे। आप own कीजिए न! आप own कीजिए। मैं चाहूंगा कि गुलाम नबी जी, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में।

देखिए कभी क्या होता है। एक बड़ी *interesting* बात बताता हूँ, हमारे यहां पुराने नियम कैसे चलते थे? कहीं डैम हो गया है या एयरपोर्ट हो गया है, कहते हैं कि वहां पर फोटो खींचना मना है। आज टेक्नोलॉजी ऐसी है वे स्पेस से गली में खड़े हुए स्कूटर के नंबर की फोटो निकाल सकते हैं। लेकिन

[श्री नरेन्द्र मोदी]

पुराने कानून लटके पड़े हैं। जो सरदार सरोवर डैम है, जब वह ओवरफ्लो होता था, जब तक वह डैम पूरा नहीं बना था, तो वह ओवरफ्लो होता था। उस समय वहां पर दिग्विजय सिंह जी की सरकार चलती थी। वहां पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। उस समय मैं वहां पर मुख्य मंत्री बना और मैंने कहा 'यह नियम बंद करो, लोगों को वहां पर जाने दो और उनको फोटो भी खींचने दो।' शुरू किया। उस पर टिकट भी रखा ताकि थोड़ा हिसाब-किताब रहे, लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो। फिर यह कहा कि जो 5 लाखवां विज़िटर होगा, हम उसको सम्मानित करेंगे और मैं खुशी से कहना चाहता हूँ कि 5 लाखवें नंबर का ईनाम प्राप्त करने वाला बारामूला का कपल था, जो शादी के बाद घूमने निकला था और वहां पर उस कपल ने फोटो खींची थी। देखिए चीजों को कैसे बदला जा सकता है और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी कभी सरदार साहब के स्टेच्यू पर जाएं। वहां कांग्रेस की वर्किंग कमेटी करे। अच्छा लगेगा, क्योंकि वे कांग्रेस के थे। देश के महापुरुष के नाते हमें जो श्रद्धांजलि देनी है, हम देते रहेंगे।

मैं हैरान हूँ। आज़ाद साहब, आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। कभी-कभी एडवर्टाइज़मेंट और जागरूकता अभियान, दोनों में थोड़ा अंतर करना चाहिए। जो *behavioural change* का विषय होता है, उस एडवर्टाइज़मेंट को गवर्नमेंट का *advertisement* नहीं माना जाता है। आप बच्चों को कहिए कि हाथ धोखा खाना खाओ। उसके लिए भी *advertising campaign* करना पड़ता है। आपको भी - जब *epidemic* हुआ, जब आप *Health Minister* थे - उस समय आपको भी बहुत सारे *advertisements* देने पड़े कि ऐसी स्थिति में पानी उबालकर पिएं, यह करें, वह करें - यह सब देना पड़ता है। इसको अगर आप *advertising* कहें, "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" को इसके साथ जोड़ दें तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप तो कम से कम ऐसा मत करिए, इतने साल आप सरकार में रहे हैं। लेकिन दुख तब होता है कि मनरेगा के नाम पर कोई मिट्टी उठाकर फेंकने जा रहा है, उसके लिए तीन साल तक देश में *advertise* किया गया। मनरेगा कोई *behavioural change* का काम नहीं था, लेकिन एक नेता को प्रस्थापित करने के लिए सरकारी खजाने से *advertisements* किया गया था, इसको देश भूल नहीं सकता है। लोगों को यह कहना कि हाथ धोकर खाना खाओ, यह *behavioural change* के लिए है। इसलिए हम जागरूकता अभियान और प्रचार अभियान में अंतर को देखें, वरना देश में बदलाव लाने का काम कैसे करेंगे? इन चीजों पर भी गौर करने की आवश्यकता है।

महोदय, यहां "आयुष्मान भारत योजना" पर भी सवाल उठाए गए। पिछले पांच साल में लोक सभा और राज्य सभा के सभी राजनैतिक दलों के एम.पीज. जब भी मुझसे मिले हैं, एक बात को लेकर उन्होंने मेरा अभिनन्दन किया है। किस बात के लिए? अपने इलाके से किसी बीमार व्यक्ति के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि प्रधान मंत्री राहत कोष से उसे मदद मिले, तो उसके लिए मैंने नियम बनाया था कि 100 परसेंट करिए, गरीब के लिए करते समय कुछ मत देखिए। करीब-करीब सभी दलों के सभी एम.पीज. मेरे पास आए। "आयुष्मान भारत योजना" की ताकत क्या है वह उस एम.पी. को मालूम है, जिसने अपने इलाके के उस गरीब की मदद के लिए प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी। आज करीब-करीब जीरो चिट्ठी हो गयी है, आज किसी एम.पी. की चिट्ठी नहीं आती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसको "आयुष्मान भारत" से फायदा मिल रहा है, इसलिए अब प्रधान मंत्री कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। यह बड़ा बदलाव आया है। उस "आयुष्मान भारत योजना" का फायदा तीस लाख लोगों ने उठाया है। हां, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कोई *negative* चीज हमारे ध्यान में न आयी हो, कुछ कमी रह गयी हो, तो हम सब मिलकर उसे सुधारें। आप उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित कीजिए। "आयुष्मान भारत योजना" को हम

जितना सशक्त बनाएंगे, सच्चे अर्थ में इस देश के गरीब को हम और गरीब होने से बचा सकते हैं। अगर गरीब middle class की दिशा में जा रहा है, पैर रख रहा है और ऐसे में घर में एक बीमारी आ जाए तो उसकी पूरी बीस साल की मेहनत पानी में चली जाती है। यह बहुत बड़ा मानवता का काम होगा। इसलिए "आयुष्मान भारत" की आलोचना करने के बजाय और इसका credit मोदी ले जाएगा - अब मिल गया भाई, हो गया, चुनाव का नतीजा आ गया, अब काम करो। अब 2024 के लिए मैं नए काम लेकर जाने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम इस पर काम करें।

महोदय, यहां पर बिहार के चमकी बुखार की भी चर्चा हुई है। हम सभी के लिए यह दुख और शर्मिंदगी की बात है कि आधुनिक युग में यह हुआ। मैं यह मानता हूँ कि पिछले सात दशक में सरकारों के रूप में और समाज के रूप में हमारी जो कुछ विफलताएँ हैं, उनमें यह एक सबसे बड़ी विफलता है - यह उन विफलताओं में से एक विफलता है। इसको हम सबको हम सबको गंभीरता से लेना होगा। मैं समझता हूँ कि कुछ जगहों पर, जैसे Eastern UP में इन दिनों अच्छी स्थिति नजर आ रही है, हालांकि क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छी स्थिति नजर आ रही है। जिन बातों को लेकर पकड़ा गया, जैसे टीकाकरण का काम हो, vaccination का काम हो या सुरक्षित मातृत्व का काम हो, इन सारी चीजों पर हम बल दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह जो दुखद स्थिति है - मैं इस संबंध में राज्य सरकार के निरंतर संपर्क में हूँ, मैंने हमारे देश के आरोग्य मंत्री को भी तुरंत वहां दौड़ाया था, ताकि सब मिलकर, मदद करके उस संकट की स्थिति से जितनी जल्दी हो सके, सबको बाहर निकाल सकें। पोषण हो, टीकाकरण हो, सुरक्षित मातृत्व हो, "आयुष्मान भारत योजना" का लाभ हो, इन सारी चीजों का जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे, ऐसे संकटों से हम देश को बचा पाएंगे। आज यह एक राज्य में है, कल किसी और राज्य में हो सकता है। हमें ही proactive होकर ऐसी समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए करना होगा।

जब मैं "सबका साथ-सबका विकास" की बात करता हूँ, तो यह राजनैतिक स्लोगन नहीं है। हमारे देश में कुछ भूभाग ऐसा भी है, जो विकास में पीछे रह गया है। हमने पैरामीटर के आधार पर 112 Aspirational Districts आइडेंटिफाई किए हैं। राजनीति के दबाव में जीने वाले कुछ राज्यों ने उसमें भी अपने हाथ ऊपर कर दिए। मैं हैरान हूँ कि क्यों वे ऐसा करते हैं, इसमें कौन सी राजनीति है? लेकिन उसके कारण क्या हुआ? जब मैं गुजरात में था तो हमारे यहां कच्छ जिले में किसी की भी appointment करते थे तो उसे लगता था कि "काला पानी" की सजा हो गयी, कोई अफसर जाने को तैयार नहीं होता था। अब तो खैर कच्छ जिला, देश के तेज गति के जिलों में आ गया है, यह आज की स्थिति में नहीं, किसी जमाने में ऐसा था। हिन्दुस्तान में हर राज्य में, ऐसे एक-दो जिले होते हैं कि वहां पोस्टिंग का मतलब है कि वह अफसर बेकार है। उस साइकोलॉजी को बदलने के लिए यंग अफसरों को लगाइए। राज्यों के साथ मेरी बात हुई और यंग अफसरों को लगाया है और इन 112 जिलों की Dashboard पर डेली मॉनिटरिंग होती है। कई पैरामीटर्स पर सुधार आ रहे हैं। 'सबका साथ सबका विकास' से मेरा मतलब यही रहा है कि जो पीछे रह जाते हैं, उनको हम एक बार एवरेज़ की स्थिति में ले आएंगे। एक बार एवरेज़ की स्थिति में ले जाएंगे, तो फिर उनका विश्वास बढ़ेगा और वे भी आगे आने की कोशिश करेंगे।

हमें नॉर्थ-ईस्ट पर ध्यान देना चाहिए। पिछले पांच सालों में वहां पर पूरा फोकस किया गया है और एक वातावरण बना है। इसको और बल देने की आवश्यकता है। वहां से कोई पॉलिटिकली गेन हो, ऐसा

[श्री नरेन्द्र मोदी]

नहीं था। वहां से एक-एक एम.पी. है और मेरे लिए एम.पी. का मुद्दा नहीं था। मेरे लिए नॉर्थ-ईस्ट देश की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। पिछले पांच सालों में काफी काम किया। यानी वहां पर मंत्रियों को जाना कम्पलसरी था और सिर्फ स्टेट कैपिटल में ही नहीं, वहां पर एक रात रुक कर किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना जरूरी था। इसके पीछे मेरी सोच यह थी कि 'सबका साथ सबका विकास' का मतलब है कि भौगोलिक रूप से भी देश में सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए।

इन दिनों मैंने पानी का सर्वे किया। करीब 226 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे ध्यान में आए हैं, जहां पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये किस राज्य में हैं, यह मेरा विषय नहीं है, यह पैरामीटर के आधार पर है। अब मैं सबको मोबिलाइज़ कर रहा हूं। इसमें मैं आपकी भी मदद चाहूंगा कि हम पानी के काम को कैसे करें? एम.पी. लेड्स फंड में भी priority पानी को कैसे दें, उन कामों को कैसे दें? एक बार हम इस समस्या से देश को बाहर लाएं, क्योंकि पानी की समस्या से देश को बाहर लाना चाहिए। पानी के संबंध में समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि भविष्य में आने वाली नई पीढ़ियों को पानी के संकट से बचाया जाए। इसलिए जल शक्ति मंत्रालय भी अलग से बनाया गया है और उसकी दिशा में भी काम हो रहा है।

मैंने पहले ही कहा कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनानी है। यहां दिवालिया कानून और Fugitive Economic Offenders Act के विषय में बहुत चर्चा हुई। इस कानून का असर ऐसा है 3 लाख करोड़ रुपया, कानून बनने के कारण सरकारी बैंकों में वापस आया। वर्ना ये ले जाते थे, उनको परवाह ही नहीं थी और कोई पूछने वाला नहीं था। अब पता चला है कि हमारी management भी चली जाती है, हमारी गाड़ियां चली जाती हैं, business चला जाता है और कोई और आकर बैठ जाता है। एक वातावरण पैदा हुआ है। हम इसमें से सकारात्मकता देखें और उसमें से रास्ता निकालने का हमारा प्रयास है। हम सब मिलकर इसको करें और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रयास किए गए हैं, उसका परिणाम मिलेगा।

यहां पर Cooperative federalism की बात हुई है। मैं मानता हूं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दीर्घ दृष्टि के साथ हमें एक ऐसा दस्तावेज दिया है कि हम देश को एक रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। Cooperative competitive federalism, राज्यों में स्पर्धा का वातावरण बनाना आवश्यक है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम जिस मंत्र को लेकर चल रहे हैं, मैंने अभी उसको व्याख्यायित किया था। वह नारा है, National Ambition, Regional Aspiration. इस नारे के मंत्र को लेकर हमने कहा था कि हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में कुछ ऐसे मुद्दे नहीं हो सकते, जिसमें हमारी सहमति हो? ऐसा तो नहीं हो सकता जी। क्या हम उन सहमत मुद्दों को लेकर देश में एक वातावरण create कर सकते हैं? गांधी-150 और आजादी-75, एक अवसर है और हम उसको अवसर के रूप में कैसे लेकर जा सकते हैं, यह हमें करना चाहिए। लेकिन यह राज्य सभा में क्या उस federal structure का हिस्सा है? क्या हम एक स्वतंत्र इकाई है? जी, नहीं। हम भी उस व्यवस्था का एक पुर्जा है। लोक सभा में देश की जनता ने चुनकर भेजा है, चूंकि यहां पर नम्बर नहीं है, इसलिए हर काम को हम रोक कर बैठे हैं। ठीक है, हमको नीचा दिखाने में आपको आनंद आता है, खुशी की बात है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं। मैं सिर्फ analysis कर रहा हूं। पिछले पांच साल में हम बहुत से होने वाले काम अटका कर बैठे हैं। आप मुझे बताइए कि बहुत से बिल लोक सभा में lapse हुए, क्योंकि उनको

राज्य सभा ने पारित नहीं किया। अब वे लोक सभा के अंदर दोबारा होंगे, फिर से लोक सभा में खर्चा होगा, देश के टैक्सपेयर का पैसा लगेगा, घंटों लगने वाले हैं तब जाकर के होगा।

श्री सभापति: प्लीज़, आपस में बात मत करिए।

श्री नरेन्द्र मोदी: यही काम हमारी राज्य सभा कर सकती है और यह भी हैल्दी फेडरल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। हम फेडरल स्ट्रक्चर की स्पिरिट को लेकर चलते हैं और यह राज्य सभा का दायित्व भी बनता है। मैं समझता हूँ कि हम सबको उस दायित्व की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप हमारी बात मानें या न मानें, आपकी मर्जी है, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की बात को हम सबको मानना चाहिए। मुझे भी मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। प्रणब दा ने बहुत स्पष्ट बात कही थी, *it is that the majority has got the mandate to rule and the minority has got the mandate to oppose*. मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई मतभेद है, लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने आगे कहा, *but nobody has got the mandate to obstruct*. मैं समझता हूँ कि इस मंत्र को लेकर हमें चलना चाहिए, तभी जाकर सच्चे अर्थ में फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा। आप तो राज्यों के जीते-जागते प्रतिनिधि हैं, राज्यों के aspirations को आपकी अभिव्यक्ति का अवसर मिल रहा है। यहां पर दल से ऊपर उठकर आपके राज्य के हित में, आपकी आवाज उठनी चाहिए। यह बात सही है कि भारत एक ऐसा देश है, सब चीजें सब राज्यों को एक साथ मिल जाएं, ऐसा होता नहीं है। किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, किसी को शायद मिलना संभव भी न हो, ऐसा होता रहता है और पहले भी हुआ है, लेकिन इसके लिए हम संख्या के बल पर, हम देश के सारे कामों को रोक दें और मुझे मालूम है पिछली बार जब सदन पूरा हुआ, तो आनन्द जी और गुलाम नबी जी दोनों मुझे कह रहे थे कि साहब कुछ करना पड़ेगा। एकाध राज्य का एक इश्यू और एक एम.पी. सारे सदन की कार्यवाही को रोक दे, तो कैसे चलेगा? यह बात ये दोनों मुझे कह रहे थे और यह सही बात है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर के सदन को चलाना, सदन को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, इस काम को लेकर चलना होगा।

मेरा यह भी कहना है कि गांधी 150 और आज़ादी की 75 साल एक ऐसी प्रेरणा के केन्द्र बिंदु हमारे पास हैं, एक ऐसी तारीख, एक ऐसी तारीख है, हम सब मिलकर के एक ऐसा नेतृत्व देश को दे सकते हैं, जो जन-सामान्य को कुछ न कुछ करने के लिए आगे ले आए। हम कर्तव्य भाव को जगाएं, हर कोई कुछ न कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो और ऐसा हो सकता है। अगर स्कूलों में हम इतना सिखा दें कि भाई, हाथ धोकर ही खाना खाएंगे, नियम बनाएं। चलिए, गांधी जी 150वीं जयंती में, मैं अपने जीवन में नियम बनाता हूँ कि मैं इसके लिए कुछ करूंगा। कोई कहेगा कि मैं छोटा बच्चा हूँ, कुछ भी हो, लेकिन मैं झूठन नहीं छोड़ूंगा, मैं खाना waste नहीं करूंगा। हमारे किसान के मन में भाव जगे कि भाई, मैं पहले जितना यूरिया इस्तेमाल करता था, यह मेरी भारत मां है और मैं अपनी जमीन के सेहत के लिए 10 परसेंट यूरिया कम इस्तेमाल करूंगा। ये छोटी-छोटी चीजें हैं। आप 1942 से 1947 का कार्य खंड देखिए, गांधी जी ने ऐसी छोटी-छोटी चीजों से हर किसी को जिम्मेवार बनाया था। इसी चीज़ को हमें करना है। हमें नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी मॉडल को लेकर आज के जमाने में हम कैसे आगे बढ़ें। हम तय करें कि हमें कुछ न कुछ छोड़ना है, देश के लिए छोड़ना है, यह कर्तव्य भाव जगाना है। अगर हम सब मिलकर के नेतृत्व करें, तो जो सपने भारत को आगे ले जाने के हैं, नया भारत बनाने के जो सपने हैं, उसके लिए हर एक का अपना मॉडल हो सकता है, लेकिन देश को पुरानी अवस्था में नहीं रखा जा सकता है। हमें देश की युवा पीढ़ी के अनुरूप देश को बनाना होगा। मुझे विश्वास है कि जो चर्चा हुई है, उसमें से जो श्रेष्ठ है, उस अमृत को लेकर के हम चलें, देश के कल्याण के लिए कुछ न

[श्री नरेन्द्र मोदी]

कुछ कदम उठाएं। मैं फिर एक बार इस चर्चा में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनका धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद करते हुए, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, I take up the Amendments.

Amendments (Nos. 1 to 99) by Shrimati Chhaya Verma. Are you pressing your Amendments?

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): सभापति महोदय, मैं अपने संशोधनों को वापस लेती हूँ।

Amendments (Nos. 1 to 99) were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Amendments (Nos. 133 to 135) by Shrimati Chhaya Verma. Shrimati Chhaya Verma, are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

श्रीमती छाया वर्मा: सभापति महोदय, मैं अपने Amendments को withdraw करती हूँ।

Amendments (Nos. 133 to 135) were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Amendments (Nos. 136 to 160) by Shri D. Raja. Shri D. Raja, are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

SHRI D. RAJA: Sir, I press my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I put Amendments (Nos. 136 to 160) to vote.

Amendments (Nos. 136 to 160) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Amendments (Nos. 161 to 231) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I have moved 72 Amendments. If you don't permit me to say one word, then, I will move every Amendment. Then, it will go till midnight.

MR. CHAIRMAN: What is the final word?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I have only one point to make. I want to bring this to the notice of the hon. Prime Minister that I regret that the Address does not mention about the need to take all necessary measures as enumerated in the 13th Schedule of the A.P. Reorganisation Act. ...(Interruptions)... for the progress and sustainable development. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing your Amendments or not?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I want to bring this to the notice of the hon. Prime Minister. Now, I am withdrawing my 72 Amendments. Otherwise, it will go till midnight.

MR. CHAIRMAN: Right. Dr. T. Subbarami Reddy is very intelligent. You are all aware of it.

Amendments (Nos. 161 to 231) were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Amendments (Nos. 232 to 263) by Shri Motilal Vora. Are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh): Sir, I withdraw my Amendments.

Amendments (Nos. 232 to 263) were, by leave, withdrawn.

श्री सभापति: जब मैं यहां से कोई सवाल पूछता हूँ, तो आप लोगों को जवाब देना है। Silence is not an indication of agreement either way.

Now, Amendments (Nos. 264 to 309) by Shri T.K. Rangarajan. Rangarajan ji, are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I press the Amendments.

MR. CHAIRMAN: I put Amendments (Nos. 264 to 309) to vote.

Amendments (Nos. 264 to 309) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No. 310) by Shri T.K. Rangarajan. Rangarajan ji, are you withdrawing the Amendment or should I put them to vote?

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, I withdraw my Amendment.

Amendment (No. 310) was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Amendments (No. 314 to 323) by Shri Ripun Bora. Boraji, are you withdrawing the Amendments or should I put it to vote?

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I am withdrawing the Amendments. The only thing is, I will give tomorrow a correction to a wrong information given by the Prime Minister. This information is given by the Prime Minister. I will give it in writing.

Amendments (Nos. 314 to 323) were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion to vote.

The question is:

“That an Address be presented to the President in the following terms :-

“That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 20, 2019.”

The motion was adopted.

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

Now, I move to the next issue which is Short Duration Discussion. If there are new Ministers and new Members, they should be aware of this Rule. Balasubramoniyanni. ...*(Interruptions)*... Mr. Balasubramoniyanni, please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Whoever wants to leave, quietly, they can stand and then quietly withdraw from the Lobby. This is the practice. Shri Sanjay Singh. कहाँ हैं श्री संजय सिंह? One minute. The total time allotted for this subject is 'Two Hour Thirty Minutes'. The Minister has to reply. Keeping that in mind, I am apportioning the time among the Members who have given notice first and then if time remains, others also will get an opportunity. Sanjayji ...*(Interruptions)*... It is a very, very serious issue. Please pay attention.

SHORT DURATION DISCUSSION

The challenges of water crisis including the supply of drinking water in the country

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पानी के संकट पर, जो आज एक राष्ट्रीय संकट के रूप में इस पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है, उस विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया है और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ।

महोदय, अगर पानी के संकट की बात करें, तो स्थिति यह है कि कहाँ से बात शुरू की जाए और कहाँ खत्म की जाए?

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

महोदय, इंडिया टुडे ने अभी दो अंक पहले अपनी मैगज़ीन का पूरा अंक देश के जल संकट पर समर्पित किया था और बताया था कि किस तरह से पूरे राष्ट्र के अंदर पानी की समस्या, खास तौर से पीने के पानी की समस्या, सिंचाई के पानी की समस्या, तालाबों की समस्या, वह चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो, जहाँ पर ...*(व्यवधान)*... सर, हाउस ऑर्डर में करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखिए। संजय जी बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*... आप बैठिए ...*(व्यवधान)*... हम उनसे कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, वह चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, जहाँ पर केंद्र की सरकार भी रहती है और हमारे राज्य की भी सरकार है, वहाँ पर जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। हम लोग सरकार में आए थे, तब उस वक्त ऐसी स्थितियाँ थीं कि 55 प्रतिशत दिल्लीवासियों को पीने का पानी नसीब होता था। आज लगभग साढ़े चार, पाँच सालों का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह संख्या 88 प्रतिशत है। हम लोगों ने 88 प्रतिशत का लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी 12 प्रतिशत लोगों तक पीने का साफ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। यह एक समस्या है।